INDIA

¢



Treaty Series No. 1 (1994)

# Convention

between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of India

# for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Capital Gains

with Exchange of Notes

New Delhi 25 January 1993

[The Convention entered into force on 25 October 1993]

Presented to Parliament by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs by Command of Her Majesty January 1994

# LONDON : HMSO

£9.40 net

# CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL GAINS

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of India;

Desiring to conclude a new Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains;

Have agreed as follows:

#### Article 1

#### Scope of the Convention

1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

2. This convention extends to the territory of each Contracting State, including its territorial sea, and to those areas of the exclusive economic zone or the continental shelf adjacent to the outer limit of the territorial sea of each State over which it has, in accordance with international law, sovereign rights for the purpose of exploration and exploitation of the natural resources of such areas, and references in this Convention to the Contracting State or to either of them shall be construed accordingly.

#### ARTICLE 2

#### **Taxes** covered

1. The taxes which are the subject of this Convention are:

(a) in the United Kingdom:

(i) the income tax;

(ii) the corporation tax;

(iii) the capital gains tax; and

(iv) the petroleum revenue tax;

(hereinafter referred to as "United Kingdom tax");

(b) in India:

the income-tax including any surcharge thereon;

(hereinafter referred to as "Indian tax").

2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the taxes of that Contracting State referred to in paragraph 1 of this Article. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

#### ARTICLE 3

#### **General definitions**

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) the term "United Kingdom" means Great Britain and Northern Ireland;

(b) the term "India" means the Republic of India;

C

- (c) the term "tax" means United Kingdom tax or Indian tax, as the context requires but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;
- (d) the term "fiscal year" in relation to Indian tax means "previous year" as defined in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in relation to United Kingdom tax means a year beginning with 6 April in one year and ending with 5 April in the following year;
- (e) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or the United Kingdom, as the context requires;
- (f) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States, but, subject to paragraph 2 of this Article, does not include a partnership;
- (g) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate for tax purposes;
- (h) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (i) the term "competent authority" means, in the case of the United Kingdom, the Commissioners of Inland Revenue or their authorised representative, and, in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative;
- (j) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (k) the term "Government" means the Government of a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof. In relation to the United Kingdom, the term "political subdivision" shall include Northern Ireland.

2. A partnership which is treated as a taxable unit under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) of India shall be treated as a person for the purposes of this Convention.

3. As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

## ARTICLE 4

#### **Fiscal domicile**

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined in accordance with the following rules:

- (a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

## Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

- 2. The term "permanent establishment" shall include especially:
- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders;
- (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
- (h) a mine, an oil or gas well, quarry or other place of extraction of natural resources;
- (i) an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources;
- (j) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or supervisory activity continues for a period of more than six months, or where such project or supervisory activity, being incidental to the sale of machinery or equipment, continues for a period not exceeding six months and the charges payable for the project or supervisory activity exceed 10 per cent of the sale price of the machinery and equipment;
- (k) the furnishing of services including managerial services, other than those taxable under Article 13 (Royalties and fees for technical services), within a Contracting State by an enterprise through employees or other personnel, but only if:
  - (i) activities of that nature continue within that State for a period or periods aggregating more than 90 days within any twelve-month period; or
  - (ii) services are performed within that State for an enterprise within the meaning of paragraph 1 of Article 10 (Associated enterprises) and continue for a period or periods aggregating more than 30 days within any twelve-month period.

Provided that for the purposes of this paragraph an enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in connection with, or supplies plant and machinery on hire used or to be used in, the prospecting for, or extraction or production of, mineral oils in that State.

- 3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:
- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information or for scientific research, being activities solely of a preparatory or auxiliary character in the trade or business of the enterprise. However, this provision shall not be applicable where the enterprise maintains any other fixed place of business in the other Contracting State for any purpose or purposes other than the purposes specified in this paragraph;
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e) of this paragraph, provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

4. A person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State—other than an agent of an independent status to whom paragraph (5) of this Article applies—shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first-mentioned State if:

- (a) he has, and habitually exercises in that State, an authority to negotiate and enter into contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or
- (b) he habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise for or on behalf of the enterprise; or
- (c) he habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control, as that enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, if the activities of such an agent are carried out wholly or almost wholly for the enterprise (or for the enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it or are subject to the same common control) he shall not be considered to be an agent of an independent status for the purposes of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

7. For the purposes of this Article the term "control", in relation to a company, means the ability to exercise control over the company's affairs by means of the direct or indirect holding of the greater part of the issued share capital or voting power in the company.

#### ARTICLE 6

## Income from immovable property

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

- 2. (a) The term "immovable property" shall, subject to the provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph, be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated.
- (b) The term "immovable property" shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 of this Article shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

## **Business profits**

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, the profits which that permanent establishment might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment shall be treated for the purposes of paragraph 1 of this Article as being the profits directly attributable to that permanent establishment.

3. Where a permanent establishment takes an active part in negotiating, concluding or fulfilling contracts entered into by the enterprise, then, notwithstanding that other parts of the enterprise have also participated in those transactions, that proportion of profits of the enterprise arising out of those contracts which the contribution of the permanent establishment to those transaction bears to that of the enterprise as a whole shall be treated for the purposes of paragraph 1 of this Article as being the profits indirectly attributable to that permanent establishment.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State according to its law to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraphs 1 and 2 of this Article shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be necessary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

5. Subject to paragraphs 6 and 7 of this Article, in the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, which are allowed under the provisions of and subject to the limitations of the domestic law of the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where the law of the Contracting State in which the permanent establishment is situated imposes a restriction on the amount of the executive and general administrative expenses which may be allowed, and the restriction is relaxed or overridden by any Convention between that Contracting State and a third State which is a member of the Organisation for Economic Co-operation and Development or a State in a comparable stage of development, and that Convention enters into force after the date of entry into force of this Convention, the competent authority of that Contracting State shall notify the competent authority of the other Contracting State of the relevant paragraph in the Convention with that third State immediately after the entry into force of that Convention and, if the competent authority of the other Contracting State so requests, the provisions of this Convention shall be amended by protocol to reflect such terms.

7. Paragraph 5 of this Article shall not apply to amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on monies lent to the permanent establishment; nor shall account be taken in the determination of the profits of a permanent establishment of amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on monies lent to the head office of the enterprise or any of its other offices. 8. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

9. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

## ARTICLE 8

#### Air transport

1. Profits derived from the operation of aircraft in international traffic by an enterprise of one of the Contracting States shall not be taxed in the other Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall likewise apply in respect of participation in pools of any kind by enterprises engaged in air transport.

3. For the purposes of this Article the term "operation of aircraft" shall include transportation by air of persons, livestock, goods or mail, carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft on a charter basis and any other activity directly connected with such transportation.

4. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of aircraft owned and operated by the enterprise, the income from which is taxable only in that State, shall be taxed only in that State.

## ARTICLE 9

# Shipping

1. Income of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to income from journeys between places which are situated in a Contracting State.

3. For the purposes of this Article, income from the operation of ships includes income derived from the rental on a bareboat basis of ships if such rental income is incidental to the income described in paragraph 1 of this Article.

4. Notwithstanding the provisions of Article 7 (Business profits) of this Convention, the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall likewise apply to income of an enterprise of a Contracting State from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise.

5. The provisions of this Article shall apply also to income derived from participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

6. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or containers owned and operated by the enterprise shall be taxed only in that State if either the income from the operation of the alienated ships or containers was taxed only in that State, or the ships or containers are situated outside the other Contracting State at the time of the alienation.

# ARTICLE 10

#### Associated enterprises

1. Where:

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State—and taxes accordingly—profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

# ARTICLE 11

## Dividends

- 1. (a) A dividend paid by a company which is a resident of the United Kingdom to a resident of India may be taxed in India.
- (b) Where under paragraph 2 of this Article, a resident of India is entitled to a tax credit in respect of that dividend, tax may also be charged in the United Kingdom and according to the laws of the United Kingdom on the aggregate of the amount or value of the dividend and the amount of the tax credit, at a rate not exceeding 15 per cent.
- (c) Except as provided in sub-paragraph (b) of this paragraph, a dividend derived from a company which is a resident of the United Kingdom by a resident of India, who is the beneficial owner of that dividend, shall be exempt from any tax in the United Kingdom which is chargeable on dividends.

2. An individual who is a resident of India and who receives a dividend from a company which is a resident of the United Kingdom shall, provided he is the beneficial owner of the dividend, be entitled to the tax credit in respect of that dividend which an individual resident in the United Kingdom would have been entitled to had he received that dividend, and to the payment of any excess of that tax credit over his liability to United Kingdom tax.

3. A dividend paid by a company which is a resident of India to a resident of the United Kingdom may be taxed in the United Kingdom. The dividend may also be taxed in India but the Indian tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividend.

4. The preceding paragraphs of this Article shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividend is paid.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 or, as the case may be, paragraph 3 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the dividend, being a resident of a Contracting State, has, in the other Contracting State of which the company paying the dividend is a resident, a permanent establishment or fixed base with which the holding by virtue of which the dividend is paid is effectively connected. In such a case the provisions of Article 7 (Business profits) or Article 15 (Independent personal services) of this Convention, as the case may be, shall apply.

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other State.

7. As used in this Article the term "dividend" means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights treated in the same manner as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident and any other item treated as a dividend or distribution under that law.

#### Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the law of that State, provided that where the resident of the other Contracting State is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article:
- (a) where the interest is paid to a bank carrying on a bona fide banking business which is a resident of the other Contracting State and is the beneficial owner of the interest, the tax charged in the Contracting State in which the interest arises shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest;
- (b) where the interest is paid to the Government of one of the Contracting States or a political subdivision or local authority of that State or the Reserve Bank of India, it shall not be subject to tax by the State in which it arises.

4. Notwithstanding the provisions of Article 7 of this Convention and of paragraphs 2 and 3 of this Article:

- (a) interest arising in India which is paid to and beneficially owned by a resident of the United Kingdom shall be exempt from tax in India if it is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured, or any other debt-claim or credit guaranteed or insured by the United Kingdom Export Credits Guarantee Department; and
- (b) interest arising in the United Kingdom which is paid to and beneficially owned by a resident of India shall be exempt from tax in the United Kingdom if it is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured, or any other debt-claim or credit guaranteed or insured by the Export Credits and Guarantee Corporation of India and/or Export-Import Bank of India.

5. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from Government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures but, subject to the provisions of paragraph 9 of this Article, shall not include any item which is treated as a distribution under the provisions of Article 11 (Dividends) of this Convention.

6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3(a) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business profits) or Article 15 (Independent personal services) of this Convention, as the case may be, shall apply.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by that permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

8. Where, owing to a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest paid exceeds for whatever reason, the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention. 9. Any provision in the laws of either Contracting State relating only to interest paid to a non-resident company shall not operate so as to require such interest paid to a company which is a resident of the other Contracting State to be treated as a distribution or dividend by the company paying such interest or to be left out of account as a deduction in computing the taxable profits of the company paying the interest. The preceding sentence shall not apply to interest paid to a company which is a resident of one of the Contracting States in which more than 50 per cent of the voting power is controlled, directly or indirectly, by a person or persons who are residents of the other Contracting State.

10. The relief from tax provided for in paragraph 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the interest:

- (a) is exempt from tax on such income in the Contracting State of which he is a resident; and
- (b) sells or makes a contract to sell the holding from which such interest is derived within three months of the date such beneficial owner acquired such holding.

11. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debt-claim in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

# ARTICLE 13

# Royalties and fees for technical services

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the law of that State; but if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

- (a) in the case of royalties within paragraph 3(a) of this Article, and fees for technical services within paragraph 4(a) and (c) of this Article;
  - (i) during the first five years for which this Convention has effect;
    - (aa) 15 per cent of the gross amount of such royalties or fees for technical services when the payer of the royalties or fees for technical services is the Government of the first-mentioned Contracting State or a political subdivision of that State, and
    - (bb)20 per cent of the gross amount of such royalties or fees for technical services in all other cases; and
  - (ii) during subsequent years, 15 per cent of the gross amount of such royalties or fees for technical services;

and

- (b) in the case of royalties within paragraph 3(b) of this Article and fees for technical services defined in paragraph 4(b) of this Article, 10 per cent of the gross amount of such royalties and fees for technical services.
- 3. For the purposes of this Article, the term "royalties" means:
- (a) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of a literary, artistic or scientific work, including cinematograph films or work on films, tape or other means of reproduction for use in connection with radio or television broadcasting, any patent, trademark, design or model, plan or secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience; and
- (b) payments of any kind, received as consideration for the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment, other than income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic.

- (a) are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of the right, property or information for which a payment described in paragraph 3(a) of this Article is received; or
- (b) are ancillary and subsidiary to the enjoyment of the property for which a payment described in paragraph 3(b) of this Article is received; or
- (c) make available technical knowledge, experience, skill, know-how or processes, or consist of the development and transfer of a technical plan or technical design.

5. The definitions of fees for technical services in paragraph 4 of this Article shall not include amounts paid:

- (a) for services that are ancillary and subsidiary, as well as inextricably and essentially linked, to the sale of property, other than property described in paragraph 3(a) of this Article;
- (b) for services that are ancillary and subsidiary to the rental of ships, aircraft, containers or other equipment used in connection with the operation of ships, or aircraft in international traffic;
- (c) for teaching in or by educational institutions;
- (d) for services for the private use of the individual or individuals making the payment; or
- (e) to an employee of the person making the payments or to any individual or partnership for professional services as defined in Article 15 (Independent personal services) of this Convention.

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 (Business profits) or Article 15 (Independent personal services) of this Convention, as the case may be, shall apply.

7. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State where the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to make payments was incurred and the payments are borne by that permanent establishment or fixed base then the royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

8. Where, owing to a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services paid exceeds for whatever reason the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

9. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the royalties or fees for technical services are paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

## **Capital gains**

Except as provided in Article 8 (Air transport) and 9 (Shipping) of this Convention, each Contracting State may tax capital gains in accordance with the provisions of its domestic law.

#### ARTICLE 15

#### **Independent personal services**

1. Income derived by an individual, whether in his own capacity or as a member of a partnership, who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character may be taxed in that State. Such income may also be taxed in the other Contracting State if such services are performed in that other State and if:

- (a) he is present in that other State for a period or periods aggregating 90 days in the relevant fiscal year; or
- (b) he, or the partnership, has a fixed base regularly available to him, or it, in that other State for the purpose of performing his activities;

but in each case only so much of the income as is attributable to those services.

2. For the purposes of paragraph 1 of this Article an individual who is a member of a partnership shall be regarded as being present in the other State during days on which, although he is not present, another individual member of the partnership is so present and performs professional services or other independent activities of a similar character in that State.

3. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

# Article 16

#### Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 17 (Directors' fees), 18 (Artistes and athletes), 19 (Governmental remuneration and pensions), 20 (Pensions and annuities), 21 (Students and trainees) and 22 (Teachers) of this Convention, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall not be taxed in that other State if:

- (a) he is present in that other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during the relevant fiscal year;
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of that other State; and
- (c) the remuneration is not deductible in computing the profits of an enterprise chargeable to tax in that other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic may be taxed in the Contracting State of which the person deriving the profits from the operation of the ship or aircraft is a resident.

## **Directors' fees**

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

#### ARTICLE 18

#### Artistes and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 (Independent personal services) and 16 (Dependent personal services) of this Convention, income derived by entertainers (such as stage, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

2. Where income arising from personal activities are such exercised in a Contracting State by an entertainer or athlete accrues not to that entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 (Business profits), 15 (Independent personal services) and 16 (Dependent personal services) of this Convention, be taxed in that Contracting State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the visit to a Contracting State of the entertainer or the athlete is directly or indirectly supported, wholly or substantially, from the public funds of the other Contracting State, including a political subdivision or local authority of that other State.

#### ARTICLE 19

#### Governmental remuneration and pensions

1. Remuneration, other than a pension, paid by the Government of a Contracting State to any individual who is a national of that State in respect of services rendered in the discharge of governmental functions in the other Contracting State shall be exempt from tax in that other Contracting State.

2. Any pension paid by the Government of a Contracting State to any individual in respect of services rendered to that Government shall be taxable only in that Contracting State.

3. The provisions of this Article shall not apply to remuneration or pensions in respect of services rendered in connection with any trade or business.

## ARTICLE 20

#### Pensions and annuities

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 19(2) of this Convention, or annuity paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past employment or by way of compensation for injuries received in the course of performance of employment or any payments made under the social security legislation of either Contracting State.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

#### Students and trainees

1. An individual who is a resident of a Contracting State or was a resident of that State immediately before visiting the other Contracting State and who is temporarily present in that other State for the primary purpose of:

- (a) studying at a university or other accredited or recognised educational institution in that other Contracting State; or
- (b) securing training required to quality him to practise a profession or a professional speciality; or
- (c) studying or doing research as a recipient of a grant, allowance, or award from a governmental, religious, charitable, scientific, literary or educational organisation;

shall not be subject to tax by that other Contracting State in respect of:

- (i) gifts from abroad for the purposes of his maintenance, education, study, research or training;
- (ii) the grant, allowance or award; and
- (iii) income from personal services rendered in that other Contracting State (other than any rendered by an articled clerk or other person undergoing professional training to the person or partnership to whom he is articled or who is providing the training) not exceeding the sum of 750 pounds sterling or its equivalent in Indian currency during any fiscal year.

2. The exemptions under paragraph 1 of this Article shall only extend for such period of time as may be reasonably or customarily required for the purpose of the visit, but in no event shall any individual have the benefit of paragraph 1 of this Article for more than 5 years.

3. An individual who is a resident of a Contracting State or was a resident of that State immediately before visiting the other Contracting State and who is temporarily present in that other State for a period not exceeding 12 months, as an employee of, or under contract with, a resident of the first-mentioned Contracting State, for the primary purpose of:

- (a) acquiring technical, professional or business experience from a person other than that resident of the first-mentioned Contracting State; or
- (b) studying at a university or other accredited or recognised institution in that other Contracting State;

shall not be subject to tax by that other Contracting State on his income from personal services performed in the other Contracting State for that period in an amount not exceeding 1,500 pounds sterling or its equivalent in Indian currency.

4. An individual who is a resident of a Contracting State or was a resident of that State immediately before visiting the other Contracting State and who is temporarily present in that other State for a period not exceeding 12 months as a participant in a programme sponsored by the Government of the other Contracting State, for the primary purpose of training, research or study, shall not be subject to tax by that other Contracting State in respect of payments made by the Government of the first-mentioned Contracting State for the purposes of his maintenance, training, research, or study.

#### ARTICLE 22

#### Teachers

1. An individual who visits a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or engaging in research at a university, college or other recognised educational institution in that State, and who was immediately before that visit a resident of the other Contracting State, shall be exempted from tax by the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date he first visits that State for such purpose.

2. This Article shall only apply to income from research if such research is undertaken by the individual in the public interest and not primarily for the benefit of some other private person or persons.

#### Article 23

#### Other income

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of this Article, items of income beneficially owned by a resident of a Contracting State, wherever arising, other than income paid out of trusts or the estates of deceased persons in the course of administration, which are not dealt with in the foregoing Articles of this Convention, shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15 of this Convention, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing articles of this Convention, and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

#### **Article 24**

#### Elimination of double taxation

1. Subject to the provisions of the law of the United Kingdom regarding the allowance as a credit against United Kingdom tax of tax payable in a territory outside the United Kingdom (which shall not affect the general principle hereof):

- (a). Indian tax payable under the laws of India and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, on profits, income or chargeable gains from sources within India (excluding, in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) shall be allowed as a credit against any United Kingdom tax computed by reference to the same profits, income or chargeable gains by reference to which the Indian tax is computed.
- (b) In the case of a dividend paid by a company which is a resident of India to a company which is a resident of the United Kingdom and which controls directly or indirectly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividend, the credit shall take into account (in addition to any Indian tax for which credit may be allowed under the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph) the Indian tax payable by the company in respect of the profits out of which such dividend is paid.

2. Subject to the provisions of the law of India regarding the allowance as a credit against Indian tax of tax paid in a territory outside India (which shall not affect the general principle hereof), the amount of the United Kingdom tax paid, under the laws of the United Kingdom and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of income from sources within the United Kingdom which has been subjected to tax both in India and the United Kingdom shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such income but in an amount not exceeding that proportion of Indian tax which such income bears to the entire income chargeable to Indian tax.

For the purposes of the credit referred to in this paragraph, where the resident of India is a company by which surtax is payable, the credit to be allowed against Indian tax shall be allowed in the first instance against the income tax payable by the company in India and, as to the balance, if any, against the surtax payable by it in India.

3. Subject to paragraph 5 of this Article, for the purposes of paragraph 1 of this Article the term "Indian tax payable" shall be deemed to include:

(a) any amount which would have been payable as Indian tax but for a deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or reduction of tax granted for that year in question under the provisions of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) referred to in paragraph 4(a) or (b) of this Article;

- (b) that proportion of any amount which would have been payable as Indian tax by a resident of India but for a deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or reduction granted for the year in question under the provisions of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) referred to in paragraph 4(c) of this Article which corresponds to the proportion of that resident's total production in that year which was actually sold in the Indian Domestic Tariff Area under Orders issued by the Chief Controller of Imports and Exports bearing Nos. 21/90–93, 22/90–93, 23/90–93, 25/90–93, 26/90–93, 27/90–93 dated 30 March 1990 and similar Orders from time to time published in the Official Gazette by the Central Government under power conferred to it by Section 3 of the Import and Export (Control) Act, 1947 (18 of 1947).
- 4. The provisions referred to in this paragraph are:
- (a) Sections 10(4), 10(4B), 10(6)(viia), 10(15)(iv), 33AB, 80HHD, 80I and 80IA;
- (b) any other provision which may subsequently be enacted granting an exemption or reduction from tax which is agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character to a provision referred to in subparagraph (a) of this paragraph, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character;
- (c) sections 10A and 10B.

5. Relief from United Kingdom tax shall not be given by virtue of this paragraph 3 of this Article in respect of income from any source if the income relates to a period starting more than 10 fiscal years after the deduction in computing taxable income or exemption from, or reduction of, Indian tax is first granted to the resident of the United Kingdom or to the resident of India, as the case may be, in respect of that source.

6. Income which in accordance with the provisions of this Convention is not to be subjected to tax in a Contracting State may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State on other income.

7. For the purposes of paragraphs 1 and 2 of this Article profits, income and chargeable gains owned by a resident of a Contracting State which may be taxed in the other Contracting State in accordance with the provisions of this Convention shall be deemed to arise from sources in that other Contracting State.

# ARTICLE 25

# **Partnerships**

1. Where, under any provision of this Convention, a partnership is entitled, as a resident of India, to exemption from tax in the United Kingdom on any income or capital gains, that provision shall not be construed as restricting the right of the United Kingdom to tax any member of the partnership who is a resident of the United Kingdom on his share of the income and capital gains of the partnership; but any such income or gains shall be treated for the purposes of Article 24 of this Convention as income or gains from sources in India.

2. Nothing in Article 11 of this Convention shall entitle a partnership which is a resident of India to a tax credit in respect of dividends paid to the partnership by a company which is a resident of the United Kingdom; but any member of the partnership who is a resident of India shall be regarded as entitled to the tax credit to which he would have been entitled under that Article, if his share of those dividends has been paid to him by the company which is a resident of the United Kingdom.

# **ARTICLE 26**

# Non-discrimination

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which an enterprise of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar enterprise of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 4 of Article 7 of this Convention.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to individuals not resident in that State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes which are by law available only to individuals who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

#### ARTICLE 27

#### Mutual agreement procedure

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

## Article 28

# **Exchange of information**

The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information 1. as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1 of this Convention. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of this Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchanges of information shall be made, including, where appropriate, exchanges of information regarding tax avoidance.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

# Article 29

# **Diplomatic and consular officials**

1. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Article 4 (Fiscal domicile) of this Convention, an individual who is a member of the diplomatic, consular or permanent mission of a Contracting State which is situated in the other Contracting State and who is subject to tax in that other State only if he derives income from sources therein, shall not be deemed to be a resident of that other State for the purposes of this Convention.

# Article 30

# Entry into force

1. Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Convention. This Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect<sup>1</sup>:

- (a) in the United Kingdom:
  - (i) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or after 6 April in the calendar year next following that in which the later of the notifications is given;
  - (ii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 1 April in the calendar year next following that in which the later of the notifications is given;
  - (iii) in respect of petroleum revenue tax, for any chargeable period beginning on or after 1 January in the calendar year next following that in which the later of the notifications is given;
- (b) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the later of the notifications is given.

2. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, the Convention between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital Gains signed in New Delhi on 16 April 1981<sup>2</sup> (hereinafter referred to as "the 1981 Convention") shall terminate and cease to be effective from the date upon which this Convention has effect in respect of the taxes to which this Convention applies in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article.

3. Where any provisions of the 1981 Convention would have afforded any greater relief from tax than is due under this Convention, any such provision as aforesaid shall continue to have effect:

(a) in the United Kingdom, for any year of assessment or financial year; and

(b) in India, for any fiscal year;

beginning, in either case, before the entry into force of this Convention.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Convention entered into force on 25 October 1993.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Treaty Series No. 2 (1982), Cmnd. 8422.

# Article 31

#### Termination

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through the diplomatic channel, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of ten years from the date of entry into force of the Convention. In such event, the Convention shall cease to have effect:

- (a) in the United Kingdom:
  - (i) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or after 6 April in the calendar year next following that in which the notice is given;
  - (ii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 1 April in the calendar year next following that in which the notice is given:
  - (iii) in respect of petroleum revenue tax, for any chargeable period beginning on or after 1 January in the calendar year next following that in which the notice is given;
- (b) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

Done on this 25th day of January, 1993, in New Delhi on two original copies each in the English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In case of divergence between the two texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: For the Government of the Republic of India:

NICHOLAS FENN

#### S. RAMAMURTI

The United Kingdom High Commissioner at New Delhi to the Chairman of the Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance of the Government of the Republic of India

> British High Commission New Delhi 25 January 1993

Your Excellency:

I have the honour to refer to the Convention between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Capital Gains which has been signed today and to propose on behalf of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

- (a) that, in applying sub-paragraph (j) of paragraph 2 of Article 5, for the purpose of determining whether a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activity in connection therewith has continued for a period of more than six months, the Contracting States shall:
  - (i) take no account of time previously spent by employees of the enterprise on other sites or projects which have no connection with the site or project in question:
  - (ii) apply the more than six months test separately to each site or project which has no connection with any other site or project and to each group of connected sites or projects; and
  - (iii) regard a building site as a single site, even if several contracts have been entered into for the work being done, provided that it forms a coherent whole commercially and geographically;
- (b) that, in applying paragraph 3 of Article 7, for the purpose of determining whether a permanent establishment has taken an active part in negotiating, concluding or fulfilling contracts entered into by the enterprise, the Contracting States shall take into consideration all relevant circumstances and, in particular, the fact that a contract or order relating to the purchase or provision of goods or services was negotiated or placed with the head office of the enterprise, rather than with the permanent establishment, shall not preclude them from determining that the permanent establishment did take an active part in negotiating, concluding or fulfilling that contract;
- (c) that, in applying paragraph 1 of Article 8, for the purpose of determining the profits of an enterprise which are derived from the operation of aircraft in international traffic, the Contracting States shall treat interest derived from the investment or deposit of receipts arising directly from the operation of aircraft in international traffic as being included in those profits, but shall not treat interest derived from the reinvestment of such interest as being so included.

If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Republic of India I have the honour to suggest that the present Note and Your Excellency's reply to that effect should be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

NICHOLAS FENN

# No. 2

# The Chairman of the Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance of the Government of the Republic of India to the United Kingdom High Commissioner at New Delhi

Ministry of Finance New Delhi 25 January 1993

Your Excellency:

I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's Note of today which reads as follows:

# [As in No. 1]

In reply, I have the honour to state that the Government of the Republic of India accepts the proposal made therein and agrees that Your Excellency's Note and the present reply shall constitute an agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in this matter.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

1

# S. RAMAMURTI

आय तथा पूंजीगत अभिलाभों पर करों के संबंध में दोहरे कराषान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैण्ड की यूनाइटिड किंगडम की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय

ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैण्ड की यूनाइटिड किंगडम की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार ;

आय तथा पूंजीगत अभिलाभों पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक नया अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा से ;

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

•

# अनुच्छेद 1

# अमिसमय का विषय-क्षेत्र

§1 ई यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अधवा दोनों राज्यों के निवासी हैं ।

# अनुच्छेद २

# अमिसमय के अन्तर्गत आने वाले कर

§1 § जो कर इस अभिसमय के विषय हैं, वे इस प्रकार हैं : §क § यूनाइटिड किंगडम में : §i § आयकर; §i i § मिगम कर; §i i i § पूंजीगत अभिलाभ कर; और §i i i § पूंजीगत अभिलाभ कर; और §i v § पेट्रोलियम राजस्व कर; §इन्हें इसके बाद "यूनाइटिड किंगडम कर" कहा गया हे §; §ख § भारत में :

आयकर जिसमें उस पर लगाया गया कोई अधिभार भी शामिल है;

§इन्हें इसके बाद 'भारतीय कर'' कहा गया है§ ।

§2 ई यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होगा जो दोनों संविदाकारी राज्यों दारा मौजूदा अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1 ई में उल्लिखित उस संविदाकारी राज्य के करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी सारभूत परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों।

# अनुच्छेद उ सामान्य परिमाषाएँ

11 इस अभिसमय में, जब तक कि विषयगत पाठ में अन्यधा अपेक्षित न हो :

- हेक हे "यूनाइटिड किंगडम" शब्द से अभिप्रेत है ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैण्ड; हेस हे "भारत" शब्द से भारत गणराज्य अभिप्रेत है:
- §ग § "कर" शब्द से अभिप्रेत है - यूनाइटिड किंगडम कर अधवा भारतीय कर, जैसी कि विषयगत पाठ में अपेक्षा की गई हो, लेकिन इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी चूक अधवा भूल के संबंध में देय है जिसके लिए यह अभिसमय लागू होता है अधवा उन करों के संबंध में लगाया गया कोई आर्थिक दण्ड निरूपित करता है;
- §प श्रे भारतीय कर के संबंध में "वित्तीय वर्ष" पद से अभिग्रेत है "पूर्ववर्ती वर्ष" जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 §1961 का 43 § में परिभाषित किया गया है और यूनाइटिड किंगडम कर के संबंध में इसका अर्थ है - एक वर्ष में 6 अग्रैल से शुरू होने और आगामी वर्ष में 5 अग्रैल को समाप्त होने वाला कोई वर्ष;
- §ड• १ "एक सोवदाकारी राज्य" तथा "दूसरा सोवदाकारी राज्य" पर्दो से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा युनाइटिङ किंगडम अमिप्रेत है;
- ईच ध्रे "व्यक्ति" शब्द में कोई व्योध्ट, कोई कम्पनी और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में लागू करापान कानूनों के अंतर्गत करादेय एकक के रूप में माना जाता है, लेकिन, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §2§ के अध्यधीन इसमें कोई भागीदारी शामिल नहीं की जाती है;
- §७§ "कम्पनी" शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभ्रिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक कम्पनी अथवा निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;
- §ज§ "प्क सोंविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदो से कृमशः पक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी दारा संचालित कोई उद्यम और

दसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी दारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है:

§द्र § "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है, यूनाइटिड किंगडम के मामले में "अन्तर्देशीय राजस्व आयुक्त" अधवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, और भारत के मामले में, वित्त मंत्रालय §राजस्व किंगाग§ में केन्द्रीय सरकार अधवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि;

- §ञ्रीं § "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान दारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम दारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;
- §ट§ "सरकार" पद से अभिप्रेत है किसी संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अधवा उसका स्थानीय प्राधिकरण । यूनाइटिड किंगडम के संबंध में, "राजनैतिक उप-प्रभाग" पद में, उत्तरी आयरलैण्ड शामिल होगा ।

§2 § ऐसी कोई मी भागीदारी को, जिसे भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 §1961 का 43 § के अंतर्गत करादेय एकक के रूप में माना गया है, इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए एक व्यक्ति के रूप में समझा जायेगा ।

§3§ जहां तक किसी सेविदाकारी राज्य दारा इस अभिसमय के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द क़ा जो उसमें पीरमापित नहीं हुआ हो, जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस सेविदाकारी राज्य के करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जो इस अभिसमय के विषय हैं।

# अनुच्छेद ४

# वित्तीय अधिवास

§1 ई इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, "किसी संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिग्रेत है - कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानून के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-स्थान अधवा इस प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण वहां पर कर लगाया जा सकता है ।

§2§ जहां इस अनुच्छेद के पैरा §1§ के उपबंधों के कारण कोई व्योध्ट दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी :

- §क§ वह उस सेविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसका स्थायी गृह है। यदि उसके दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी गृह हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध धनिष्टतर हो §महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र §;
- ईस यदि उस संविदाकारी राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र हो अथवा यदि उसका किसी भी संविदाकारी राज्य में स्थायी गृह नहीं हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका स्थायी निवास हो;
- १ग यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी-निवास हो अथवा उनमें से किसी में नहीं हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा जिसका वह राष्ट्रिक है,
- १४१ यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अधवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति दारा इस मसले को सुलझायेंगे ।

§3 § इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1 § के उपबंधों के कारण, किसी व्यफ्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक-प्रबंध स्थित है ।

# जनुच्छेद 5

# स्यायी संस्यापन

§1§ इस अभिसमय के प्रयोजनार्ध, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है. जिसके माघ्यम से किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है ।

828 "स्यायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- **≬क हे प्रबंध का कोई स्थान;**
- ∛्ख∛ कोई शाखा;
- १ग १ कोई कार्यालय;
- ∦घ हे कोई कारखाना;
- §ड•§ कोई कार्यशाला;
- §च हे कोई परिसर जिसका प्रयोग विकय-स्थल अथवा खरीद-आदेशों को प्राप्त करने अथवा मंगवाने के लिप किया जाता हो;
- १७१ कोई भाण्डागार जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएं उप्तब्ध कराता हो;
- ईज ई कोई सान, तेल अथवा गैस या कोई कुआं, खदान अथवा प्रकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;
- §झ § कोई संस्थापन अथवा संरचना, जिसका इस्तेमाल प्राकृतिक संसाधनों की खोज अथवा उपयोग के लिए किया जाता हो;
- \$२ म कोई मवन-स्थल अधवा निर्माण, प्रतिष्ठापन अधवा संयोजन परियोजना अधवा उनसे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप जहां ऐसा स्थल, परियोजना अधवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप 6 माह से अधिक की अवधि के लिए जारी रहता हो अधवा ऐसी परियोजना अधवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप जो मशीनरी अधवा उपकरण की बिकी के लिए प्रार्सोगक है, छः मास से अनधिक अवधि के लिए जारी रहते हैं तथा परियोजना अधवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप के लिए अदा करने योग्य प्रभार, मशीनरी और उपकरण के बिकी मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक हो;
- १८१ किसी उद्यम के दारा कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से एक संविदाकारी राज्य में अनुद्छेद 13 ईरायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के शुल्कई के अन्तर्गत

कराघेय को छोड़कर, प्रबंधकीय सेवाओं सहित सेवाएं प्रदान करना, यदि ऐसी सेवाएं केवल :-

- \$1\$ उस स्वरूप के कियाकलाप के लिए उस राज्य में किसी भी 12 मास की अवधि में कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि अधवा अवधियों के लिए जारी रहते हैं; अधवा
- §ii§ अनुच्छेद 10 के पैरा §1§ §सम्बद उग्तम§ के अर्थ में उस राज्य में किसी उग्रम के लिए सेवाएं निष्पादित की जाती हैं और किसी भी बारह मास की अवयि के भीतर कुल मिलाकर 30 दिन से अधिक की अवधि अथवा अवयियों के लिए जारी रहती हैं;

बशर्ते कि इस पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए एक उद्यम का किसी सीवेदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन माना जाता है और उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यवसाय चलाया जाता है यदि वह उद्यम, उस राज्य में, सनिज तेलों के पूर्वेक्षण अधवा निष्कर्षण अधवा उत्पादन के लिए सेवाएं प्रदान करता है अयवा इस संबंध में सुविधाएं उपलब्ध कराता है अधवा इस्तेमाल किए गए अधवा इस्तेमाल किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी किराये पर सुलम करता है ।

- §3 "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिसित को शामिल नहीं माना जाएगा :
  - §क§ उस उग्रम से संबंधित माल अथवा फ्रय-वस्तुओं के भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्य मात्र ही सुविधाओं का इस्तेमाल करना;
  - §स§ मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ ही उस उग्रम से संबोधत माल अथवा पण्य-वस्तुओं के किसी स्टॉक का रखरखाव करना;
  - §गई किसी अन्य उद्यम दारा मात्र संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ ही उस उद्यम से संवीधत माल अथवा पण्य-वस्तुओं के किसी स्टॉक का रखरखाव करना;
  - ईघ किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं की खरीद करने अथवा उसके बारे में सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ मात्र ही कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रखरखाव करना;
  - §ड•§ उधम के लिए अनन्य रूप से विज्ञापन देने, सूचना प्रदान करने अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो कि व्यापार अथवा कारोबार में अनन्य रूप से किसी प्रारम्भिक

अधवा सहायक स्वरूप के कार्यकलाप हों, कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रखरखाव करना । तथापि, यह उपबंध उस दशा में लागू नहीं होगा जहां उद्यम इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी दूसरे प्रयोजन अधवा प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यवसाय का कोई अन्य निश्चित स्थान रखता हो,

§च§ इस पैरा के उप-पैराग्राफ §क§ से §ड•§ तक में उल्लिखित कार्यकलापों के संयोजन मात्र के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रखरखाव करना, बशर्ते/इस शर्त पर संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान के सम्पूर्ण कार्यकलाप प्रारम्पिक अथवा सहायक स्वरूप के हो ।

§4§ एक व्यक्ति जो कि दूसरे संविदाकारी राज्य के उग्रम के लिए अथवा उसकी ओर से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य करता है- किसी स्वतंत्र हैसियत के किसी प्लेन्ट से मिन्न , लिस पर इस अनुच्छेद का पैराग्राफ §5§ लागू होता हो- उस उग्रम का प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन होना तभी माना जापगा, यदि :

- §क§ उस राज्य में, उद्यम के लिए अथवा उद्यम की ओर से उसे बातचीत करने और सोवदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और नियमित रूप से उसका प्रयोग करता हो, जब तक कि उसकी गतिविधियां उद्यम के लिए माल अथवा प्ण्य-वस्तुओं की खरीद तक सीमित नहीं हों; अथवा
- §स § वह प्रधमोल्लिखित राज्य में नियमित रूप से माल अथवा फ्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम के लिए अथवा उद्यम की ओर से माल अथवा फ्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो;
- §गई वह प्रयमोल्लिखित राज्य में उद्यम के लिए अथवा उद्यम की ओर से और अन्य नियंत्रक अथवा नियोंत्रित उद्यमों के लिए अथवा जो उस उद्यम की तरह उसी सामान्य नियंत्रण के अधीन हों, के लिए पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः नियमित रूप से आदेश प्राप्त करता हो ।

\$5§ एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण किसी स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल , सामान्य कमीशन

फोन्ट अधवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य फोन्ट के माध्यम से कारोबार करता है, जहां ऐसे व्यक्ति अपने व्यवसाय का कार्य सामान्य रूप से कर रहे हों । तथापि, जब ऐसे फोन्ट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा प्रायः उस उग्रम के लिए ईअयवा उग्रम के लिए और अन्य उग्रम जिन पर इसका नियंत्रण हो अथवा जिनका इसमें नियंत्रण हित शामिल हो अथवा उसी सामान्य नियंत्रण के अधीन होई तो उस स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत उसे स्वतंत्र हैसियत का एक फोन्ट नहीं समझा जाएगा ।

§6§ यदि कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अधवा किसी ऐसी कम्पनी दारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अधवा जो उस दूसरे राज्य §चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अधवा अन्यधा§ में कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरी कम्पनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

§7 § इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए किसी कम्पनी के संबंध में, "नियंत्रण" श्रब्द का अर्थ कम्पनी के कार्यों को जारी-शेयर-पूंजी अथवा कम्पनी में मताधिकार के बड़े हिस्से पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष धारिता के साथ नियंत्रण करने की योग्यता से है ।

# अनुच्छेद 6

# अचल सम्पत्ति से आय

§1§ अचल सम्पत्ति से आय पर उस सीवेदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित है ।

- §2§ §क§ "अचल सम्पत्ति" पद को इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ §ख§ के उप्संघों के अनुसार उस संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार परिभाषित किया जाएगा जिसमें संबोधत सम्पत्ति स्थित है ।
  - §स्त § "अचल सम्पत्ति" पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर मू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और सनिज भण्डार स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अधवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफ्ल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार । जलयान और वायुयान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।

§3 § इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1 § के उपबंध अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे ।

§4§ इस अनुत्त्छेद के पैराग्राफ §1§ और §3§ के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे । अनुच्छेद ७ कारोबार से लम्भ

§1§ किसी संविदाकारी राज्य के किसी उधम के लामों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उपम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोवार नहीं करता हो । यदि उक्त उधम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता है तो उस उधम के लामों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लामों के केवल उतने ही अंश पर, जो प्रत्यक्ष अधवा परोक्ष रूप से उस स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए हो ।

§2§ जहां किसी एक सोवेदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे सीवेदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, तो वहां उसको ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण जिन लामों के प्राप्त होने की तव अपेक्षा रहती यदि वह एक-समान या मिलते-जुलते कियाकलापों में लगा हुआ, एक- समान अथवा मिलती-जुलती स्थिति में कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1ई के प्रयोजनार्थ उन लामों के रूप में माना जाएगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारण प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुए हों।

§3§ जहां कोई स्यायी संस्थापन उग्रम दारा किए गए करारों पर बातचीत करने, निर्णय लेने अथवा इन्हें पूर्ण करने में सकिय रूप से भाग लेता है, तब, इस बात के होते हुए भी कि उग्रम के अन्य भागों ने भी उन कार्यों में भाग लिया है, तब उन करारों से उत्पन्न होने वाले उग्रम के ऐसे लम्मों के अनुपात में जिनमें उग्रम के ऐसे लेन-देन के कारण उत्पन्न हुए समग्र लाभों में स्थायी संस्थापन का अंशदान इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1§ के प्रयोजनार्थ उन लामों के रूप में माना जापगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारण अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुए हों ।

ें4 ें जहां तक किसी संविदाकारी राज्य में, इसके अपने कानून अनुसार उद्यम के कुल लामों को उसके विभिन्न भागों के प्रति एक संक्मिाजन के आधार पर, किसी स्थायी संस्थापन के कारण माने जाने वाले लामों को निशिचत करने की प्रया हो, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1§ तथा §2§ की कोई भी व्याख्या उस संविदाकारी राज्य को ऐसी प्रचलित सोक्माजन पदति से, कर योग्य लामों को निश्चित करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी । तिशापि, संक्माजन पदति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिदांतों के अनुसार होगा ।

§5§ इस अनुच्छेद के पैरा §6§ तथा §7§ के रहते हुए, किसी स्थायी संस्थापन के लामों का निर्घारण करने में उन व्ययों को कटौतियों के रूप में स्वीकृति दी जाएगी, जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ किए गए हों, इनमें इस प्रकार किए गए ऐसे कार्यकारी तथा प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे चाहे ये उस राज्य में किए गए हों, जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र, जो संविदाकारी राज्य के, जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है, स्वदेशीय कानून के उपबंधों के अंतर्गत अनुमत्य हों ।

16 यदि किसी सोंवदाकारी राज्य जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो, वहां के कानून के अधीन कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक व्यय, जिनके संबंध में अनुमति दी जा सकती है, पर सीमा लगा दी जाप तथा उस सीमा में उस सोंवदाकारी राज्य तथा किसी ऐसे तीसरे राज्य, जो आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन का सदस्य है अथवा वह राज्य जो तुलनात्मक दृष्टि से विकास स्तर पर है, के बीच किसी ऐसे अभिसमय दारा दील दी गई हो अथवा उसे रद्द किया गया हो और वह अभिसमय इस अभिसमय के प्रवृत्त होने की तारीख के बाद से लागू होता हो, तो उस सोंवदाकारी राज्य के साथ के तागू होता हो, तो उस संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी तीसरे राज्य के साथ किस एवटन के साथ किस पर है , के बीच किसी ऐसे अभिसमय दारा दील दी गई हो अथवा उसे रद्द किया गया हो और वह अभिसमय इस अभिसमय के प्रवृत्त होने की तारीख के बाद से लागू होता हो, तो उस संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी तीसरे राज्य के साथ किए गए अभिसमय के लागू होने के तुरन्त बाद उस अभिसमय के संगत पैराग्राफ की शर्तों को दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा और यदि दूसरे संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी तो उस समिता के प्रायो के संयाप के राज्य का सक्षम प्राधिकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी तो उस संविदाकारी राज्य के संया प्राया की शर्तों को दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा और यदि दूसरे संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी के जाएगा ताकि ऐसी शर्तों को परिलक्षित किया जा सके ।

§7§ इस अनुत्छेद का पैराग्राफ §5§ स्थायी संस्थापन दारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को, §वास्तविक व्यय की प्रतिप्रींतें से मिन्न रूप में§ पेटेंटों अयवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायहिटयों, फीसों अथवा ऐसी ही अन्य अदायगियों के रूप में, अथवा विशिष्ट सेवा-निष्पादन अथवा प्रबंध के लिए कमीशन के रूप में अथवा अन्य प्रमार अथवा बैंक उद्यम के मामलों को छोड़ कर स्थायी संस्थापन को उधार दिये गये धन पर ब्याज के रूप में यदि कोई रकमें अदा की गयी हों तो, उनके संबंध में ऐसी किसी कटौती की स्वीकृति नहीं दी जायेगी । इसी प्रकार, स्थायी संस्थापन के लामों के निर्धारण में उन रकमों को हिसाब में नहीं लिया जापगा जो स्थायी संस्थापन दारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को, §वास्तविक व्यय की प्रतिप्रीर्त से मिन्न रूप में§ स्थायी संस्थापन दारा पेटेंटों अथवा अन्य आधकारों के प्रयोग के बदले में रायहिटयों, फीसों अथवा अन्य ऐसी ही

अदायगियों के रूप में अथवा विशिष्ट सेवा-निष्पादन के लिए अथवा प्रबंध के लिए कमीश्वन के रूप में अथवा बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, अन्य मामलों में, उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके मुख्य कार्यालयों में से किसी को उपार दिये गये धन पर ब्याज के रूप में उद्यम के प्रधान कार्यालय अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी के मी संबंध में लागू नहीं होगा ।

§8§ स्थायी संस्थापन दारा उद्यम के लिए मात्र खरीदे माल अथवा पण्य-वस्तुओं के कारण इसे कोई लाभ हुआ नहीं माना जाप्गा ।

§9§ जहां लभों में आय की ऐसी मर्दे शामिल हों, जिन पर इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विचार किया गया हो, तब उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों दारा प्रमावित नहीं होंगे। §1 किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी उग्रम दारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयान के प्रचालन से प्राप्त लक्ष्मों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा ।

§2§ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1§ के उपबंध वायु परिवइन में लगे हुए उग्रमों दारा किसी भी प्रकार के पुल में भाग लेने के संबंध में भी लागू होंगे ।

§3§ इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्ध "विमान परिचालन" पद में वायुयान के मालिकों अथवा पट्टेदारों अथवा अवकेताओं दारा वायुयान से यात्रियों, पशुधन, माल अथवा डाक के परिवहन जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की विक्री, चार्टरर्स आधार पर विमान का आकस्मिक पट्टा तथा ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप भी शामिल हैं।

§4§ किसी सोंवदाकारी राज्य के किसी उधम का कोई ऐसा विमान जो उसके स्वामित्व में हो और उसके
दारा प्रचालित किया गया हो, के अन्तरण से प्राप्त लाभों पर कर उसी राज्य में लगाया जाएगा जिस राज्य में
उसकी आय पर कर लगाया जाता है।

,

### अनुच्छेद 9 जद्वाजरानी

§1 § किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम दारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जहाजों के संचालन से प्राप्त आय पर उसी राज्य में ही कर लगाया जाएगा ।

§2§ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1§ के उपवंध ऐसे स्थानों के बीच की गयी यात्राओं से प्राप्त आय पर लागू नहीं होंगे जो एक सीवेदाकारी राज्य में स्थित हो ।

§3§ इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, जहाजों के संचालन से प्राप्त आय में जहाजों के वेयर बोट आधार पर किराये से प्राप्त आय भी शामिल है यदि ऐसी किराये की आय इस अनुच्छेद के पैरा §1§ में वर्णित आय के संबंध में आकरिमक हो ।

§4§ इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के उपबंधों के होते हुए भी §कारोबार से लाभ § इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1 § तथा §2 § के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के आधानों §ट्रेलरों तथा आधानों के परिवहन के लिए संबंधित उपस्कर सहित § के प्रयोग, रख-रसाव अधवा उनको किराये पर देने से प्रप्त आय पर लागू होंगे जिन्हें माल अधवा पण्य-वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयुक्त किया गया हो ।

§5§ इस अनुच्छेद के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अयवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन प्रजेंसी में भाग लेने से प्राप्त आय पर भी लागु होंगे ।

§6 किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के ऐसे जहाजों अयवा आधानों जो उसके स्वामित्व में हों और जो उसके दारा प्रचालित किए गए हों, के अपवर्तन से प्राप्त लर्म्सों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा यदि अपवर्तित जहाजों अथवा आधानों के संचालन से प्राप्त आय पर या तो केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा यदि अपवर्तित जहाजों अथवा आधानों के संचालन से प्राप्त आय पर या तो केवल उसी राज्य में कर लगाया लगाया गाया हो, अथवा जहाज या आधान अपवर्तन के समय दूसरे संविदाकारी राज्य से बाहर स्थित हों ।

1

38

÷.

§18 जहां :

- हक है एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा फंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा
- हेख है वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उग्रम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उग्रम के प्रबंध, नियंत्रण अधवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अधवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय सम्बन्धों में ऐसी शर्ते रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से मिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो वहां ऐसा कोई भी लाभ, जो उन शर्तों में नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु, उन शर्तों के कारण, इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा ।

928 जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लम्मों में उन लम्मों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार कर लगाता है - जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार के लामों को सम्मिलित करता है जो प्रयमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्ते इस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होतीं, तब दूसरा राज्य उन लामों पर वहां प्रमारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में, इस के अन्य उपबंधों को ययोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।

### लामांश्व

- §1 § क § यूनाइटिड किंगडम की किसी निवासी कम्पनी द्वरा भारत के किसी निवासी को जदा किये गये लामांश पर भारत में कर लगेगा ।
  - §स § इस अनुच्छेद के पैरा §2 § के अंतर्गत जहां भारत का कोई निवासी उस लाभांश के संबंध में कर केडिट पाने का पात्र है, लामांश की संकलित रकम अधवा मूल्य पर यूनाइटिड किंगडम में तथा यूनाइटिड किंगडम के कानूनों के अनुसार और कर केडिट की रकम पर भी कर लगाया जायेगा । इस प्रकार लगाया जाने वाला कर 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।
  - §ग § इस पैराग्राफ के उप-पैरा §ख्3 में की गई व्यवस्था को छोड्कर भारत के किसी निवासी दारा यूनाइटिड किंगडम की किसी निवासी कम्पनी से प्राप्त होने वाले ऐसे किसी लामांश पर, जिसका कि वह हितभागी स्वामी हो, यूनाइटिड किंगडम में किसी ऐसे कर से छूट प्राप्त होगी जो लामांशों पर प्रमार्य होता हो ।

§2§ कोई व्यष्टि जो भारत का निवासी है तथा जो किसी ऐसी कम्पनी से लामांश प्राप्त करता है जो यूनाइटिड किंगडम की निवासी है, वह उस लामांश के संबंध में कर केंडिट का लाम प्राप्त करने का पत्र होगा जो यूनाइटिड किंगडम में एक व्यप्टि निवासी होने के नाते उस लामांश को प्राप्त करता तथा जो यूनाइटिड किंगडम में अपनी देनदारी के उत्पर कर केंडिट से किसी अधिक रकम का भुगतान करता, बशर्ते कि वह उस लामांश का हितमागी स्वामी हो ।

§3 रेसी कम्पनी जो भारत की निवासी है उसके दारा यूनाइटिड किंगडमकेकिसी निवासी को अदा किये गये लामांश पर यूनाइटिड किंगडम में कर लगेगा । इस लामांश पर भारत में भी कर लगेगा किन्तु यह प्रमारित भारतीय कर लामांश की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

§4§ इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्रापरें का कम्पनी के उन लामों से संबंधित कराधान पर कोई प्रमाव
नहीं पडेगा जिनमें से लामांश अदा किया जाता हो ।

१५३ पैराग्राफ १११ तथा १२१ के उपबंध अथवा जैसा भी मामला हो, इस अनुत्छेद का पैराग्राफ १३१ तगू नहीं होगा यदि किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, लामांश के हितमागी स्वामी की दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कम्पनी हो जो लामांश का भुगतान कर रही हो, वह वहां की निवासी हो, उसका वहां स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान हो और उनसे प्रमावी रूप से संबद हो तथा धारणाधिकार के बारे में लामांश की अदायगी की जाती हो । ऐसे मामले में, इस अमिसमय के अनुत्छेद 7 ईकारोवार लाम अथवा अनुत्छेद 15 ईस्वतंत्र वैयक्तिक सेवाई के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।

§6§ जहां कोई कम्पनी, जो एक सीवेदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे सीवेदाकारी राज्य से लाम अधवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किये गये लामांशों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगा सकेगा, सिवाए उस स्थिति के जहां ऐसे लामांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किये जाते हो अधवा जिस धारणाधिकार के बारे में लामांशों की अदायगी की जाती है, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन अथवा किसी नियत स्थान से प्रमावी रूप से संबंधित है, और न ही कम्पनी के अवितरित लामों पर कम्पनी के अवितरित लाम पर कर नहीं लगाया जायेगा, चाहे अदा किये गये लामांश अथवा अवितरित लाम, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाम अथवा आय के रूप में हो ।

§7§ र्इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "लामांश" शब्द का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो ऋण-दावे नहीं हों, जो लाभ में शामिल हों, इसके साथ-साथ अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय जिस पर उसी प्रकार की कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों दास श्वेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है जिसमें वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है तथा ऐसी कोई अन्य मद जो कानन के अंतर्गत लामांश अधवा वितरण माने जाते हैं ।

#### न्याज

§1 § किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये जाने वाले ज्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा ।

§2§ तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी जहां यह उद्भूत होता है और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा, बशर्ते कि यदि ब्याज का हित्रमागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रमारित कर की राशि ब्याज की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

- §3§ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §2§ के उपकंघों के होते हुए मी :
  - ेके ईक ई जहां किसी ऐसे बैंक को ब्याज की अदायगी की जाती हो जो वास्तव में बैंकिंग व्यवसाय कर रहा हो, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी हो तथा ब्याज का हितभागी स्वामी हो, उस संविदाकारी राज्य में प्रभारित कर जिसमें ब्याज उद्भूत होता है, ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;
    - श्रेस श्रे जहां संविदाकारी राज्यों में से किसी एक की सरकार अथवा एक राजनीतिक उप-प्रमाग
      आथवा उस राज्य का स्थानीय प्राधिकरण अथवा भारत के रिजर्व बैंक को अदा किये गये
      ब्याज पर उस राज्य दारा जिसमें वह उद्भूत होता है, कर नहीं लंगाया जाएगा ।

§4§ इस अभिसमय के अनुत्छेद 7 तथा इस अनुत्छेद के पैरा §2§ तथा §3§ के उपबंधों के होते हुए भी :

> §क§ भारत में उद्भूत ब्याज जिसके किए गए भुगतान पर तथा जिसका हितभागी स्वामी यूनाइटिड किंगडम का निवासी हो, भारत में कर से छूट प्राप्त होगी यदि उसका भुगतान यूनाइटिड किंगडम प्रक्सपोर्ट केडिट गारन्टी किमाग दारा दिये गये ऋण, गारन्टी अथवा बीमा, अथवा कोई अन्य ऋण-दावे अथवा केडिट गारन्टी अथवा

बीमा के संबंध में किया गया हो; और

§5§ इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है - प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक दारा प्रतिभूत हों अधवा नहीं हों और चाहे उन्हें कर्जदार के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अधवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय, तथा बंधपत्रों अधवा ऋण-एत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, "बन्ध-पत्रों" अधवा ऋणपत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हें परन्तु, इस अनुच्छेद के पैरा §9§ के उफ्बंघों के अध्यधीन ऐसी कोई मद इसमें शामिल नहीं होगी जिसे इस अभिसमय के अनुच्छेद 11 §लाभांश§ के उफ्वंघों के अंतर्गत वितरण के रूप में माना जाता है ।

इस अनुच्छेद के

16 [ पेराग्राफ 111, 12 और 33 16 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितमागी स्वामी, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कार्यवार चलाता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है, और जिस चण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अधवा निश्चित स्थान से प्रभावी रुप से संबंधित हो । ऐसे मामले में इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 इंग्यापारिक लाम अधवा अनुच्छेद 15 इंस्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं होगे ।

किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज उस स्थिति में उद्भूत हुआ समझा जापगा, जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उस संविदाकारी राज्य क कोई राजनीतिक उप-प्रमाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अधवा उस राज्य का कोई निवासी हो । किन्तु जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी हो । किन्तु जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी हो । किन्तु जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का कोई स्थानीय प्राधिकरण अधवा उस राज्य का कोई निवासी हो । किन्तु जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन

43

.. .

अधवा कोई निश्चित स्थान है जिसके संबंध में यह ऋण लिया गया हो, जिसपर ब्याज की अदायगी की गई है और इस प्रकार का ब्याज ऐसे स्थायी संस्थापन अधवा निश्चित स्थान दारा वहन किया जाता है तो इस प्रकार का ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जिसमें वह स्थायी संस्थापन अधवा निश्चित स्थान स्थित है।

§8 अहां व्याज अदाकर्ता तथा हितमागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई व्याज की राशि, किसी भी वजह से उस राशि से वढ़ जाती है जिसका इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में, भुगतान किया जाना था, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसी स्थिति में, अदायगी की अतिरिक्त मांग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्युक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जायेगा ।

\$9 केवल गैर-निवासी कम्पनी को अदा किये गए ब्याज से संबंधित संविदाकारी राज्यों में से किसी राज्य के कानून के उपबंध लागू नहीं होंगे जिससे कि उस ऐसी कम्पनी को ऐसा अदा किया गया ब्याज जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है ऐसा ब्याज अदा करने वाली कम्पनी का लामांश या वितरण के रूप में मानने की आवश्यकता हो अधवा कम्पनी के कराघेय लाम की संगणना में कटौती के रूप में हिसाब में से छोड़ देना पड़े । पूर्ववर्ती वाक्य उस कम्पनी को अदा किये गए ब्याज के बारे में लागू नहीं होगा जो संविदाकारी राज्य में किसी के राप्यों में से किसी पर्क राज्य की निवासी है, पर जहां मतदान की 50 प्रतिशत से अधिक शक्ति जिसके वारे में प्रत्यक्षतः अथवा अम्पत्यक्षतः किसी व्यक्ति या ब्यक्तियों दारा नियमित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी है, पर जहां मतदान की 50 प्रतिशत से अधिक शक्ति जिसके वारे में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः किसी ब्यक्ति या व्यक्तियों दारा नियमित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी हैं ।

§10 इस अनुच्छेद के पैरा §2 ई में दी गई कर से छूट की व्यवस्था उस स्थिति में लागू नहीं होगी यदि व्याज का हितमागी स्वामी :

- ईक} उस संविदाकारी राज्य में उसे ऐसी आय पर कर से छूट प्राप्त है जिस राज्य का वह निवासी है; तथा
- ईसई जिस धारण से ऐसा ब्याज प्राप्त हुआ है उसे हितभागी स्वामी दारा ऐसे धारण को प्राप्त किए जाने की तारीख से तीन महीने के अन्दर वेच देता है या वेचने का करार करता है।

§11 ई इस अनुच्छेद के उपवंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ऋण-दावे के सृजन अथवा अध्यर्पण, जिसके संबंध में ब्याज अदा किया गया है, से संबंधित किसी व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य अथवा मुख्य उद्देश्यों में से पक ऐसे सृजन अथवा अध्यर्पण के दारा इस अनुच्छेद का लाम उठाना हो ।

### अनुच्छेद - 13 रायहिट्यां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

§1 § एक सौवदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे सोवदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गयी रायल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

§2§ तथापि, इस प्रकार की रायल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर एक संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत होती हों, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा; लेकिन यदि रायल्टियों अधवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस प्राप्त करने वाला हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिसित से अधिक नहीं होगा :

- §क§ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §3§§क§ के रायहिटयों और इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §4§§क§ और §ग§ के अंतर्गत तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के मामले में :
  - १ं। पहले पांच वर्षों के दौरान जिनके लिए यह अधिसमय प्रमावी होगा :
    - ∦कक≬ ऐसी रायस्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिप फीस की सकल राशि का 15 प्रतिशत, जब रायस्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिप फीस का अदाकर्ता प्रथमोस्लिसित संविदाकारी राज्य की सरकार अयवा उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग हो; और
    - §खख § अन्य सभी मामलों में ऐसी रायहिटयों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का 20 प्रतिशत; और
  - §ii§ अनुवर्ती वर्षों के दौरान, ऐसी रायस्टियों अयवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि का 15 प्रतिशत;

और

ईसई इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §3§§सई में रायहिटयों और इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4 ईसई में परिमाषित तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के मामले में ऐसी रायहिटयों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि का 10 प्रतिशत । \$3 इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ "रायहिटयों" पद का अर्थ है :

ईकई साहित्यिक, कलात्मक अधवा वैज्ञानिक कृतियों के किसी मी कापीराइट के प्रयोग के लिए अधवा प्रयोगाधिकार के लिए, जिनमें सिनेमा-फित्में, फित्मों पर कार्य, टेप अधवा रेडियो या टेलीविजन के प्रसारण के संबंध में इस्तेमाल के लिए पुनर्निर्माण के अधवा रेडियो या टेलीविजन के प्रसारण के संबंध में इस्तेमाल के लिए पुनर्निर्माण के अधवा रेडियो या टेलीविजन के प्रसारण के संबंध में इस्तेमाल के लिए पुनर्निर्माण के अधवा रेडियो या टेलीविजन के प्रसारण के संबंध में इस्तेमाल के लिए पुनर्निर्माण के अधवा रेडियो या टेलीविजन के प्रसारण के संबंध में इस्तेमाल के लिए पुनर्निर्माण के अधवा रेडियो या टेलीविजन के प्रसारण के संबंध में इस्तेमाल के लिए पुनर्निर्माण के अधवा रेडियो या तरीके, कोई पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फर्मूला अधवा प्रकिया अधवा और्योगिक, वाणिज्यिक अधवा वैज्ञानिक अनुमव से संबंधित जानकारी के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है; और ईस ई किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अधवा वायुयानों के परिचालन से अर्जित आय से भिन्न किसी और्यागिक, वाणिज्यिक अधवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग अधवा प्रयोगाधिकार के प्रतिपत्त के रूप में प्रप्त

की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां ।

§4§ इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ और इसके पैराग्राफ 5 के अधीन "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस"
शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति को तकनीकी अथवा परामर्शदायी सेवाएं §तकनीकी अथवा अन्य कार्यिक सेवाओं के
प्रावधान संहित§ प्रदान करने के प्रतिफ्ल के रूप में किसी भी प्रकार की अदायगियों से है जो कि :

- §क § ऐसे किसी अधिकार, सम्पत्ति अधवा सूचना, जिसके लिए इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §3§§क§ में वर्णित अदायगी प्राप्त की जाती है, को लागू करने अधवा भोगने के लिए अनुषंगी और सहायक है; अधवा
- §स § ऐसी सम्पत्ति को मोगने के लिए अनुषंगी और सहायक है, जिसके लिए इस अनुच्छेद के पैराग्राफ § 3 § §स्त§ में वर्णित अदायगी प्राप्त की जाती है; अधवा

§5§ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §4§ में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की परिभाषा में इस प्रकार अदा की गई राशि शामिल नहीं होगी :

> §क§ उन सेवाओं के लिए जो अनुषंगी और सहायक होने के साथ-साथ निश्चित रूप से और अनिवार्य रूप से, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §3§§क§ में वर्णित सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति की बिकी से जुडी हुई हैं;

- हेग है शिक्षण अयवा शैक्षिक संस्थाओं के लिए,
- ईघ ई निजी प्रयोग में आने वाली सेवाओं के लिए व्योष्ट अथवा व्यष्टियों के दारा की जाने वाली अदायगी. अथवा
- §ड•§ ऐसी अदायगियां करने वाले किसी व्यक्ति के किसी कर्मचारी अधवा किसी व्यष्टि को अधवा साझेदार को इस अमिसमय के अनुच्छेद 15 §स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं§ में परिभाषित व्यावसायिक सेवाओं के लिप ।

\$6§ इस अनुच्छेद के पैरा §1§ और §2§ के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायल्टियों अधवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितमागी स्वामी, एक सीवेदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे सीवेदाकारी राज्य जिसमें रायल्टियां अधवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार चलाता है अधवा वहां दूसरे राज्य में ही स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवारं करता है और जिस अधिकार, सम्पत्ति अधवा सीविदा के संबंध में रायल्टियों अधवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार चलाता है अधवा वहां दूसरे राज्य में ही स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवारं करता है और जिस अधिकार, सम्पत्ति अधवा सीविदा के संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है ऐसे स्थायी संस्थापन अधवा निश्चित स्थान के साथ प्रमावी रूप से संबंधित है । ऐसे मामले में, इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 §कारोवार लम § अथवा अनुच्छेद 15 §स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

१७ एक सोंवदाकारी राज्य में रायहिटयों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तव उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो । तथापि, जहां रायहिटयों अधवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाला व्यक्ति चाहे वह किसी सोंवदाकारी राज्य का निवासी हो अधवा नहीं, एक सोंवदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अधवा निश्चित स्थान रखता हो, जिनके संबंध में अदायगियां करने का दायित्व पूरा किया गया हो और अदायगियां उस स्थायी संस्थापन अधवा निश्चित स्थान अधवा निश्चित स्थान अधवा निश्चित स्थान अधवा निश्चित स्थान अधवा तिकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस सोंवदाकारी राज्य में प्रसा कोई क्यायी संस्थापन अधवा निश्चित स्थान रखता हो, जिनके संबंध में अदायगियां करने का दायित्व पूरा किया गया हो और अदायगियां उस स्थायी संस्थापन अधवा निश्चित स्थान के दारा की जाती हों, तब रायहिटयों अधवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस सोंवदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाफ्गी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हि ।

•

\$8ई ... जहां अदाकर्ता और हितमागी स्वामी के बीच अधवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, रायस्टियों अधवा तकनीकी सेवाओं की फीस के लिए अदा की गई राशि किसी मी कारण से उस राशि से बढ़ जाती हो जो कि इस प्रकार का संबंध न होने की स्थिति में अदा की जाती तो वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित राशि पर लागू होंगे । उस मामले में, अदा की गयी राशि के ओतीरक्त भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों पर यथोचित ध्यान देते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

\$9 इस अनुच्छेद के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि उन अधिकारों, जिनके संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, के सृजन अथवा सौंपने से संबंधित किसी व्यक्ति का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में एक प्रयोजन उस सृजन अथवा सौंपे जाने का अभिप्राय इस अनुच्छेद का लाभ उठाने से हो । इस अभिसमय के अनुच्छेद 8 §वायु पीरवहन§ और 9 §जहाजरानी§ में जैसी व्यवस्था की गई है, को छोड्कर प्रत्येक संविदाकारी राज्य अपने देशीय कानूनों के उपबंधों के अनुसार पूँजीगत लाभ पर कर लगा सकता है ।

.

.

# अनुच्छेद 15 स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

§1 § किसी ऐसे व्यष्टि के दारा जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने की हैसियत से अथवा मागीदारी के सदस्य के रूप में व्यावसायिक सेवाओं अथवा ऐसे ही स्वरूप के अन्य स्वतंत्र क़ियाकलार्पो से प्राप्त आय पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा । ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकराा है यदि ऐसी सेवाएं उस दूसरे राज्य में निष्पादित की जाती हैं और यदि :

- §क§ वह, उस दूसरे राज्य में, संगत वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 90 दिन की अवधि अधवा अवधियों के लिए रहा हो; अधवा
- ≹ख∛ उसको अथवा भागीदारी को अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्ध दूसरे सोवदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है;

परन्तु प्रत्येक मामले में केवल उतनी ही आय को कर लगाने के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जापगा जो कि उन सेवाओं के कारण प्राप्त हुई हो।

§2§ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1§ के प्रयोजन के लिए, किसी व्यफ्टि को, जो किसी मागीदारी का सदस्य है, उन दिनों में, दूसरे राज्य में मौजूद समझा जाएगा, जब, यद्यपि वह वहां मौजूद नहीं है, और मागीदारी का एक अन्य व्यफ्टि सदस्य वहां मौजूद हो और उस राज्य में व्यावसायिक सेवाएं अयवा ऐसे ही स्वरूप के अन्य स्वतंत्र कियाकलार्यों को निष्पादित कर रहा हो ।

§3 हिंद्यावसायिक सेवापं' पद के अन्तर्गत स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, क्लात्मक, शैक्षिक या अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखापालों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल हैं ।

### पराधित वैयक्तिक सेवाएं

§1 § इस अभिसमय के अनुच्छेद 17 §निदेशकों की फीस §, 18 §कलाकार और खिलाड़ी §,19 §सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक और पेंशन §, 20 §पेंशन और वार्षिकियां §, 21 §छात्र और प्रशिक्ष क और 22 §अध्यापक § के उपबंधों के अधीन रहते हुए,एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी दारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा, जब तक कि उक्त नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो । यदि नियोजन इस प्रकार किया जाता है तो इससे प्राप्त किए गए पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

§2 § इस अनुच्छेद के पैराग्गाफ §1 § के उबपंधों के होते हुए भी, किसी सीवेदाकारी राज्य के किसी निवासी दारा दूसरे सीवेदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध मे प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा, यदि :

- §क§ वह संगत वित्तीय वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 183 दिन से अनधिक की अवधि अयवा अवधियों के लिए उस दूसरे सीवेदाकारी राज्य में मौजूद रहा हो;
- §स्र § पारिश्रीमक किसी ऐसे नियोजक दारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है, जो उस दसरे सोवदाकारी राज्य का निवासी नहीं है; और
- श्रेग § किसी उद्यम के लभ्गों की गणना करते समय उस पारिश्रमिक की कटौती नहीं की जापगी जिस पर दूसरे राज्य में कर लगाया जाता है ।

§3 इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में किसी जलयान अथवा वायुयान पर सवार होकर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, जिसका जलयान अथवा वायुयान के परिचालन से लाम प्राप्त करने वाला व्यक्ति निवासी है ।

# जनुच्छेद 17 निदेशकों की फीस

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी दारा किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक-मंडल के एक सदस्य की हैसियत से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त की गयी निदेशकों की फीस तथा इसी प्रकार की अन्य अदायगियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

### क्लाकार तया सिलाडी

§1 § इस अमिसमय के अनुच्छेद 15 §स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं§ और 16 §पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं§ के उफ्लंघों के होते हुए भी, मनोरंजनकर्ताओं §जैसे स्टेज, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार और संगीतकार§ अथवा किसी प्यतीट के रूप में दूसरे सीवेदाकारी राज्य में सम्पन्न किए गए उनके व्यक्तिगत कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस सीवेदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें ये कार्यकलाप किए गए हों।

§2§ जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी दारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्यकलार्पों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां इस अभिसमय की आय पर अनुच्छेद 7 §कारवार लभा §, 15 §स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं§ और 16 §पराधित वैयक्तिक सेवाएं§ के उप्लंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

§3 § इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1 § तथा §2 § के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि मनोरंजनकर्ता अथवा प्र्यलीट की किसी एक संविदाकारी राज्य की यात्रा का व्यय प्रत्यक्षतया अथवा अप्रत्यक्षतया, पूर्णतया अथवा पर्याप्त रूप से अन्य संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों अथवा उस राज्य के राजनीतिक उप-प्रमाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण दारा वहन किया गया हो ।

## जनुच्छेद 19 सरकारी पारिश्रीमक ज़ौर पेंश्वन

§1§ किसी संविदाकारी राज्य की सरकार दारा किसी व्यक्ति को, जो उस राज्य का राष्ट्रिक हो, उस दूसरे संविदाकारी राज्य के लिए सरकारी स्वरूप के किन्हीं कार्यों की सम्पन्न की गयी सेवार्जो के संबंध में अदा की गयी, पेंशन से भिन्न, पारिश्रीमक को उस अन्य संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी ।

\$2 किसी संविदाकारी राज्य की सरकार दारा किसी व्यक्ति को उस सरकार की सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन केवल उस संविदाकारी राज्य में कराघेय होगी ।

§3§ किसी व्यापार अथवा कारोबार के सिलसिले में की गई सेवाओं के संबंध में इस अनुच्छेद के उपबंध परिश्रमिक अथवा पेंश्वनों पर लागू नहीं होंगे ।

. .

.

ti.

### पेशन तया वार्भिकियां

§1§ किसी सेविदाकारी राज्य के किसी निवासी को इस अभिसमय के अनुच्छेद 19§2§ में उल्लिखित पेंशन से मिन्न अदा की गयी कोई अन्य पेंशन अधवा वार्षिकी पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा ।

§2 § "पैंशन" पद से पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अथवा नियोजन के निष्पादन के दौरान प्रप्त हुई चोटों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में की जाने वाली आवधिक अदायगी अथवा दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के सामाजिक सुरक्षा कानून के अंतर्गत की गयी अदायगियां अभिप्रेत हैं ।

§3§ "वार्षिकी" पद का अर्थ उस नियत राशि से है, जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफल के लिए अदायीगयां करने के किसी दायित्व के अधीन जीवन-पर्यन्त अथवा किसी विनिर्दिष्ट या निश्चित समयावधि के दौरान नियत अवधि पर समय-समय पर देय हो ।

,

### विद्यार्थी और प्रशिक्ष

§1 § कोई व्योध्ट, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व एक संविदाकारी राज्य का निवासी है या उस राज्य का निवासी था और जो केवल निम्नलिखित मूलभूत प्रयोजन के लिए उक्त दूसरे राज्य में अस्थायी तौर पर मौजूद है :-

- §क§ उस दूसरे सेविदाकारी राज्य के किसी विश्व-विद्यालय अथवा अन्य संबंधन प्राप्त अथवा मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान में अध्ययन कर रहा है; अथवा
- § ल § किसी व्यवसाय का अभ्यास करने अथवा व्यावसायिक विशिष्टत के लिए उसके पह बनने हेतु अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है; अथवां
- §ग किसी सरकारी, धार्मिक, धर्मार्थ, वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा शैक्षिक संस्थान से किसी अनुदान, भत्ते अथवा वजीफे के प्राप्त कर्ता के रूप में अध्ययन अथवा अनुसंधान कर रहा है;

उस पर निम्नलिखित के संबंध में उस दूसरे राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा :

- §i डिसके निर्वाह, शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान अधवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ विदेशों से भेजे गए उपहार;
- §ां। इ. अनुदान, भत्ता अथवा पुरस्कार; और
- §iiis किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उस अन्य संविदाकारी राज्य में की गई वैयक्तिक सेवाओं से प्राप्त आय जो 750 पाउन्ड स्टरलिंग की राशि अधवा भारतीय मुद्रा में इसके समतुल्य राशि से अधिक न हो ईकिसी आर्टिकल्ड क्लर्क अधवा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति दारा उस व्यक्ति अधवा भागीदार जिसके पास वह आर्टिकल्ड र्क्ल है अधवा जो प्रशिक्षण दे रहा हो, को उपलब्ध करायी गयी सेवा से मिन्न है।

§2§ इस अनुच्छेद के पैरग्राफ §1§ के अधीन छूटें ऐसी समयावधि तक दी जाएंगी जितनी अवधि के लिए दौरे के प्रयोजनार्थ ये व्यावहारिक अधवा प्रयागत् रूप से अपेक्षित हों, परन्तु किसी भी स्थिति में किसी व्यप्ति के किसी क्यांत के किसी के स्थिति में किसी व्यप्ति के किसी के किसी के के लिए लाभ नहीं दिया जाएगा ।

§3§ कोई व्योध्ट, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है या दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व पहले संविदाकारी राज्य का निवासी था और वह उस दूसरे राज्य में अस्थायी तौर पर 12 माह से

अनधिक अवधि के लिए एक कर्मचारी के रूप में, अथवा प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के साथ हुए करार के अधीन, मूलभूत रूप से निम्नलिखित प्रयोजन हेतु रह रहा हो :-

- §क§ प्रयमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के उस निवासी से भिन्न किसी व्यक्ति से तकनीकी, व्यावसायिक अधवा कारोबार संबंधी अनुभव प्राप्त कर रहा हो; अधवा
- §ख§ उस दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य संबंधन-प्राप्त अथवा मान्यताप्राप्त संस्थान में अध्ययन कर रहा हो;

ऐसे व्यक्ति की उस अवधि के दौरान दूसरे सेविदाकारी राज्य में वैयक्तिक सेवाओं से प्राप्त आय पर उस दूसरे सोवदाकारी राज्य दरा कर नहीं लगाया जाएगा यदि यह राशि 1500 पाउन्ड स्टरलिंग अथवा इसके समतुल्य भारतीय मुद्रा से अधिक न हो ।

§4§ कोई व्यप्टि, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है या दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व पडले संविदाकारी राज्य का निवासी था और जो दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार दारा प्रायोजित किसी कार्यक्रम में प्रशिक्षण, अनुसंधान अथवा अध्ययन हेतु भाग लेने वाले के तौर पर अस्थायी रूप से 12 माह से अनधिक अवधि के लिए उस दूसरे राज्य में रहा रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निर्वाह, प्रशिक्षण, अनुसंधान अथवा की राज्य में रहा रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निर्वाह, प्रशिक्षण, अनुसंधान अथवा के राज्य में रहा रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निर्वाह, प्रशिक्षण, अनुसंधान अथवा के राज्य में रहा रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निर्वाह, प्रशिक्षण, अनुसंधान अथवा के राज्य में रहा रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निर्वाह, प्रशिक्षण, अनुसंधान अधवा अध्ययन हेतु सोवदाकारी राज्य की सरकार दारा किए गए भुगतानों पर दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार दारा किए गए भुगतानों पर दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार दारा किए गए भुगतानों पर दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार दारा किए गए भुगतानों पर दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार दारा किए गए भुगतानों पर दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार दारा किए गए भुगतानों पर दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार दारा किए गए भुगतानों पर दूसरे संविदाकारी राज्य का सिवदाकारी राज्य का स्वार कर नहीं लगाया जाएगा ।

,

#### अच्यापक

§1 § कोई व्यप्टि, जो दूसरे राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अधवा अन्य मान्यताप्राप्त संस्था में दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अध्यापन-कार्य अधवा शोध-कार्य के प्रयोजनार्य उस दूसरे राज्य का दौरा करता है तथा वह दौरा करने से तत्काल पूर्व अन्य संविदाकारी राज्य का निवासी था, उसके उस दूसरे राज्य में आगमन की तारीख से दो वर्षों से अनधिक की अवधि के लिए इस प्रकार के अध्यापन अथवा अनुसंधान के लिए प्राप्त किसी प्रकार के पारिश्रमिक को प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य बरा कर से छूट होगी ।

§2§ यह अनुच्छेद केवल उस शोध-कार्य से प्राप्त आय पर लागू होगा यदि यह शोध-कार्य किसी व्यफ्टि दारा लोक-हित के लिए किया गया हो न कि मूलतः किसी अन्य निजी व्यक्ति अयवा व्यक्तियों के लाभ के लिए ।

जन्य आय

§1 § इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §2 § के उप्संधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी दारा स्वीकार की गई लामकारी रूप से आय की मर्दे, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, प्रशासन की प्रकिया में न्यासों अधवा मृतक व्यक्तियों की सम्पदा से प्रदत्त से मिन्न वह आय जिस पर इस अमिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी ।

१२१ पैराग्राफ १११ के उपबंध अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ १२१ में यधापरिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से मिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक सीवेदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अयवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अयवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अधवा निश्चित स्थान से प्रमावी रूप से सम्बद है । ऐसे मामले में इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।

§3§ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1§ और §2§ के उपलंघों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों पर , जिन पर इस अमिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

### दोहरे करायान का अपकरण

**किंगड म** 

§1 र्युनाइटिड किंगडम कर के प्रति किसी क्रेडिट अयवा यूनाइटिड के बाहर किसी क्षेत्र में इससे सामान्य सिदांत पर कोई प्रमाव नहीं होगा इदेय कर के रूप में छूट के बारे में यूनाइटिड किंगडम के कानून के उपबंधों के अध्यधीन :

- श्रेक श्री भारत के कानूनों के अंतर्गत और इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार, चाहे प्रत्यक्ष सप से अथवा कटौती दारा लामों पर, भारत के भीतर स्रोतों से आय अथवा प्रमार्य अभिलामों पर श्रेंकिसी लामांश के मामले में उन लामों के संबंध में जिसमें से लामांश अदा किया गया है, को छोड़कर देय भारतीय कर को उस हवाले दारा जिसके लिए भारतीय कर संगणित किया गया है, उन्हीं लामों, आय अथवा प्रभार्य अभिलामों के हवाले दारा संगणित यूनाइटिड किंगडम कर के प्रति किसी क्रेडिट के रूप में अनुमति दी जाएगी;
- §स § ऐसी किसी कम्पनी दारा, जो भारत की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को, जो यूनाईटिड किंगडम की निवासी है और जो प्रत्यक्ष रूप से अधवा अग्रत्यक्ष रूप से लामांश अदा करने वाली कम्पनी में कम से कम 10 प्रतिशत मतदान अधिकार रखकर नियंत्रण करती है, अदा किए लामांश के मामले में उन लामों के संबंध में जिसमें से ऐसा लामांश अदा किया जाता है, केंडिट की अनुमति देते समय, कम्पनी द्वरा देय-भारतीय कर का ध्यान रखा जाएगा §किसी भारतीय कर के अतिरिक्त जिसके लिए इस पेराग्राफ के उप-पेरा हका के उफ्वंधों के तहत केंडिट की अनुमति दी जाएह ।

\$2 \$ भारत के कानून के उपबंधों के अध्यधीन भारत के बाहर किसी क्षेत्र में भारतीय कर अधवा अदा किए गए कर के प्रति क्रेडिट के रूप में छूट के वारे में ईजिससे सामान्य सिदांत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा \$ यूनाइटिड किंगडम के कानूनों के अंतर्गत और इस अभिसय के उपबंधों के अनुसार चाहे प्रत्यक्ष रूप से अधवा कटौती दारा भारत के किसी निवासी दारा यूनाइटिड किंगडम के मीतर स्रोतों से आय के संबंध में जो भारत और यूनाइटिड किंगडम, दोनों में कर लगाया गया है, प्रदत्त यूनाइटिड किंगडम कर की रकम को रेसी आय के संबंध में जो भारत और यूनाइटिड किंगडम, दोनों में कर लगाया गया है, प्रदत्त यूनाइटिड किंगडम कर की रकम को रेसी आय के संबंध में जो भारत और यूनाइटिड किंगडम कर की रकम को रेसी आय के संबंध में जो भारत और यूनाइटिड किंगडम, दोनों में कर लगाया गया है, प्रदत्त यूनाइटिड किंगडम कर की रकम को रेसी आय के संबंध में देय-भारतीय-कर के प्रति क्रेडिट के रूप में अनुमति दी जाएगी लेकिन किसी ऐसी रकम में नहीं जो भारतीय कर के उस अनुपात से अनधिक है जिसमें रेसी आय भारतीय कर के लिए सम्पूर्ण प्रमार्य आय के लिए वहन करती है ।

इस पैराग्राफ में उस्लिखित कोडिट के प्रयोजनों के लिए, जहां भारत का निवासी कोई ऐसी कम्पनी है जिसके दारा अतिकर देय है वहां भारतीय कर के प्रति स्वीकार किये जाने वाला केडिट प्रयमतः भारत में कम्पनी दारा देय आयकर के प्रति स्वीकार किया जाएगा और बकाया के संबंध में, यदि कोई हो, भारत में उसके दारा देय-अतिकर के प्रति स्वीकार किया जाएगा ।

§3§ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §5§ के अध्यधीन, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1§ के प्रयोजनों के लिप "देय-भारतीय कर" पद में निम्नलिखित को शामिल करना समझा जाएगा :-

- १क १ ऐसी कोई रकम जो भारतीय कर के रूप में देय हो गई होती लेकिन कर योग्य आय की संगणना करने में अधवा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4 १क १ अधवा १ स १ में उल्लिसित आयकर अधिनियम, 1961 §1961 का 43 १ के उप्खंधों के अंतर्गत प्रश्नगत किसी कटौती के लिप कोई रकम;
- किसी रकम का वह अंश जो भारत के किसी निवासी दरा भारतीय कर के रूप में देय हो गयी होती लेकिन कर योग्य आय की संगणना करने में अथवा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ १४१ १ग१ में उल्लिपित आयकर अधिनियम, 1961 १1961 का 43ई के उपकंधों के अंतर्गत प्रश्नगत वर्ष के लिए प्रदान की गई कोई छूट अथवा घटौती में अनुमत कटौती जो उस वर्ष में उस निवासी के कुल उत्पादन के अनुपात के लिए अनुकूल है जो मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात के दारा, दिनांक 30 मार्च, 1990 को जारी किए गए आदेशों, जिनके नं0 हैं - 21/90-93, 22/90-93, 23/90-93, 25/90-93, 26/90-93, 27/90-93, और आयात-निर्यात ईनियंत्रणई अधिनियम, 1947 ई1947 का 18ई की घारा 3 दारा इसके दारा प्रदल्त शक्तियों के अधीन केन्द्रीय सरकार दारा राजकीय राजपत्र में समय-समय पर प्रकाशित इसी प्रकार के आदेशों के अंतर्गत वास्तव में भारतीय घरेलू टेरिफ क्षेत्र में बेचा गया या ।
- 👫 इस पैराग्राफ में उल्लिखित उपवंध निम्नलिखित हैं :
  - §क§ धारा 10§4§,10§4ख§,10§6§§∨ांक§,10§15§§ां∨§ 33कल, 80जजघ,80-झ तथा 80झक;

\$स§ कोई अन्य उपवंध जिसे बाद में कर से कोई छूट अथवा घटोती प्रदान करने के लिए अधिनियम बना दिया जाए जिस पर इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ §क§ में उल्लिखित किसी उपबंध के बारे में उसी प्रकार के स्वरूप होने को सीवेदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों दारा मान लिया गया है, यदि इसे उसके बाद संशोधित नहीं किया गया है अथवा इसके केवल लघु पहलुओं को ही संशोधित किया गया है जब तक कि इसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो;

∛ग थारा 10क और 10ख ।

§5§ इस अनुष्छेद के पैराग्राफ §3§ के आधार पर किसी झोत से आय के संबंध में यूनाईटिड किंगडम कर से छूट नहीं दी जापगी यदि आय, उस स्रोत के संबंध में यूनाईटिड किंगडम के निवासी को अधवा भारत के किसी निवासी को प्रदान किए गए भारतीय कर से किसी छूट अधवा घटौती की कर योग्य संगणना में कटौती के बाद 10 वित्तीय वर्षों से अधिक समय से आरम्भ अवधि से संबंधित है ।

§6§ उस आय को, जिस पर इस अभिसमय के उप्र्लंघों के अनुसार किसी सीवेदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाता है, अन्य आय पर उस संविदाकारी राज्य में लगाए जाने वाले कर की दर की संगणना करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है ।

§7 § इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1 § और §2 § के प्रयोजनों के लिए एक सीवेदाकारी राज्य के किसी निवासी दारा धारित लामों, आय और प्रमार्य अभिलामों को, जिस पर इस अभिसमय के उपवंधों के अनुसार दूसरे सीवेदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, उन सब को उस दूसरे सीवेदाकारी राज्य में स्रोतों से उद्भूत समझा जाप्गा ।

### अनुच्छेद 25 भागीदारी

§1 § जहां इस अभिसमय के किसी उपबंध के अंतर्गत किसी आय पर अयवा पूंजीगत अभिलामों पर यूनाइटिड किंगडम में कर से छूट के लिए भारत के निवासी के रूप में भागीदारी का अधिकारी है, उस स्थिति में उस उपबंध से यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह यूनाइटिड किंगडम की भागीदारी के किसी ऐसे सदस्य पर, जो यूनाइटिड किंगडम का कोई निवासी है, भागीदारी की आय और पूंजीगत अभिलामों के उसके शेयर पर कर लगाने के अधिकार को रोकती है; लेकिन ऐसी कोई आय अधवा अभिलामों को इस अभिसमय के अनुच्छेद 24 के प्रयोजनों के लिए भारत में स्रोलों से प्राप्त आय अथवा अभिलामों के रूप में माना जाएगा ।

§2§ इस अमिसमय के अनुच्छेद 11 में ऐसी कोई बात नहीं है, जो किसी ऐसी मागीदारी को, जो भारत की निवासी है, भागीदारी के लिए प्रदत्त लामांशों के प्रति कर-क्रेडिट का कोई अधिकार प्राप्त करा दे, जिन लामांशों की अदायगी, उस कम्पनी ने की है; जो यूनाइटिड किंगडम की निवासी है, लेकिन भागीदारी का ऐसा कोई सदस्य जो भारत का निवासी है, कर-क्रेडिट के लिए हकदार के रूप में माना जाएगा जिसके लिए उसे उस अनुच्छेद के अंतर्गत हकदारी दी गई होती यदि उन लामांशों में से उसका भाग उस कम्पनी दारा उसे अदा कर दिया गया है जो यूनाइटिड किंगडम की निवासी है ।

#### सम-व्यवहार

१1 एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं होगी, जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर एक-समान परिस्थितियों तथा एक-समान शर्तों में लागू होती हैं अधवा हो सकती हैं।

१२ प्रक संविदाकारी राज्य के किसी उग्रम के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराघान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उग्रमों पर एक-समान परिस्थितियों में तथा एक-समान शर्तों के अधीन समस्त कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाले कराघान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । इस उपबंध से यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह किसी संविदाकारी राज्य को किसी स्थायी संस्थापन के लाभों पर ऐसा कर लगाने से रोकती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य का कोई उग्रम के किसी स्थायी संस्थापन के लाभों पर ऐसा कर लगाने से रोकती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य का कोई उग्रम के किसी स्थायी संस्थापन के लाभों पर ऐसा कर लगाने से रोकती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य का कोई उग्रम के किसी स्थायी संस्थापन के लाभों पर ऐसा कर लगाने से रोकती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य का कोई उग्रम प्रयमोल्लिबित राज्य में है, जिस पर कर की दर उस दर से अधिक है, जो इसी प्रकार के अपने उग्रम के लाभों पर लागू करता है, दर से अपेक्षकृत अधिक है और न ही यह कि इस अभिसमय के अनुस्छेद 7 के पैराग्राफ १४३ के उपबंधों के साथ कोई विरोध है ।

§3§ इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के उन व्यप्टियों को, जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं, कराधान के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार की व्यक्तिगत छूट, राइत, पटौतियां मंजूर करने के लिए, जो कि कानून दारा केवल ऐसे व्यप्टियों के लिए उपलब्ध हैं जो वहां के निवासी हैं, उपकृत करना है ।

§5§ . इस अनुच्छेद में, "कराधान" पद का अर्थ उन करों से है जो इस करार के विषय हैं ।

### जनुच्छेद 27

#### परस्परिक करार कार्यविधि

§1§ जहां एक सीवेदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अधवा दोनों सीवेदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अधवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है, तो वह उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों दारा उपबंधित उपायों के होते हुए भी उस सीवेदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह निवासी है ।

§2 ई यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी समुचित इल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से, जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति दारा उस मामले को इल करने का प्रयास करेगा।

§3§ यदि इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाझ्यां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो सोवदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे ।

§4§ पूर्ववर्ती पेराग्राफों के अभिग्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम
प्राधिकारी एक-द्सरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार भी कर सकते हैं।

.

#### सूचना का आदान-प्रदान

818 सोंवेदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपवंधों को अधवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आन्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, जो इस करार के अन्तर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन विद्यमान कराधान व्यवस्था अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हो ताकि विशेष रूप से करों की जालसाजी अधवा अपवंचन को रोका जा सके । सूचना के आदान-प्रदान को इस अभिसमय के अनुच्छेद 1 दारा रोका नहीं जाता है । किसी भी संविदाकारी राज्य दारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार कि उस राज्य के घरेलू कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है । लेकिन, यदि सूचना भेजने वाले राज्य में सूचना को मूलतः गुप्त समझा जाता है तो, उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों §जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं। को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण अधवा उनकी वसली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबीधत अपीलों का निर्धारण करने से संबद हों, जो इस अभिसमय के विषय हैं । ऐसे व्यक्ति अधवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्तु वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाही अधवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे । सक्षम प्राधिकारी, विचार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शर्तों, पदतियों और तकनीकों को विकसित करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-प्रदान किया जाएगा जिनमें, जहां-कहीं उपयुक्त हो, कर-अपवंचन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान मी श्वामिल है ।

\$2 किसी भी स्थिति में, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ \$1 के उपवंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नीलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- ईक डे उस अथवा दूसरे सीवदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रशासनिक प्रया से इटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- ईख रेसी सूचना की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे सोवेदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- ईगई ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औग्रोगिक, वाणिन्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया प्रकट होती हो अथवा सूचना जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकुल है ।

### राजनयिक और कौंसुलरी अधिकारी

§1 § इस अभिसमय की किसी भी बात से राजनयिक अथवा कौंसुलरी अधिकारियों को अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

§2§ इस अभ्रिसमय के अनुच्छेद 4 §वित्तीय अधिवास § के पैराग्राफ §1§ के उपबंधों के होते हुए भी, किसी ऐसे व्याप्ट को जो किसी संविदाकारी राज्य के राजनयिक, कौंसुलर अथवा स्थायी मिशन का एक सदस्य हे, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है और जिस पर केवल उस दूसरे राज्य में कर लग सकता है यदि वह वहां के स्रोतों से आय प्राप्त करता है, इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए उसे उस दूसरे राज्य का निवासी होना नहीं माना जाएगा ।

.

### प्रवर्तन

§1 § प्रत्येक सीवेदाकारी राज्य इस अभिसमय को लागू करने के लिए अपने कानूनों की अपेक्षित अपेक्षाओं के पूरा होने को अधिसूचित करेगा । यह अभिसमय ऐसी अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की तारीख से लागू होगा तथा इसका निम्नानुसार प्रभाव होगा :

१क। यूनाइटिड किंगडम में :

- §i§ आय-कर तथा पूंजीगत अभिलाभ कर के संबंध में, अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना के दिए जाने से अगले कैलेण्डर वर्ष की छः अप्रैल अथवा उसके बाद की तारीख से शुरू होने वाले कर-निर्धारण वर्ष के लिए;
- हों। है निगम कर के संबंध में, अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना के दिए जाने से अगले कैलेण्डर वर्ष की एक अंग्रेल अथवा उसके बाद की तारीख से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए;
- §iiii प्रेोलियम राजस्व कर के संबंध में, अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना के दिए जाने से अगले कैलेण्डर वर्ष की एक जनवरी अधवा उसके बाद की तारीख से शुरू होने वाली किसी प्रभार्य अवधि के लिए:
- §ल § मारत में, अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना के दिए जाने से अगले कैलेण्डर वर्ष की अप्रैल की पहली तारीख अथवा उसके बाद की तारीख से शुरू होने वाले किसी वित्त वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के लिए ।

§2 इस अनुच्छेद के पैरा §3 § के उपलंघों के अध्यधीन आय तथा पूँजीगत अभिलाभ के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैण्ड की यूनाइटिड किंगडम की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच नई दिल्ली में 16 औरल, 1981 को सम्पन्न अभिसमय ईजिसे इसके बाद "1981 का अभिसमय" कहा जाएगा ई उस तारीख को निष्ठभावी तथा समाप्त हो जाएगा जिस तारीख से इस अनुच्छेद के पैरा §1 ई के उपलंघों के अनुसरण में करों के संबंध में यह अभिसमय प्रमावी हो जायेगा । §3§ जिन मामलों में 1981 के अभिसमय के किसी उपबंध के तहत इस अभिसमय के अंतर्गत देय रियायत से अधिक राहत उपलब्ध है तो यथा-उल्लिखित ऐसे उपबंध के प्रमाव निम्नलिखित के बारे में जारी रहेंगे :

💱 यूनाइटिड किंगडम में, किसी कर निर्धारण अयवा वित्त वर्ष के लिप; तथा

.

•

श्रेख

भारत में, किसी वित्त वर्ष के लिए; परन्तु, किसी भी मामले में ये इस अभिसमय के

प्रवर्तन से पहले लागू होने चाहिए ।

### र्फ्यवसान

यह अभिसमय तब तक लागू रहेगा जब तक कि संविदाकारी राज्यों में से कोई इसे समाप्त नहीं कर देता । दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य इस अभिसमय के लागू होने की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद शुरू होने वाले कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छः महीने पहले राजनयिक माध्यमों से समाप्ति नोटिस देकर अभिसमय को समाप्त कर सकता है । ऐसी स्थिति में यह अभिसमय निम्नलिखित के लिए निष्ठमावी हो जाएगा :

- 🖣 🦉 युनाइटिड किंगडम में :
  - §i§ आय तथा पूँजीगत अभिलाभ कर के संबंध में, जिस वर्ष में नोटिस दिया गया है उसके बाद के कैलेण्डर वर्ष की 6 अप्रैल को अधवा उसके बाद शुरू होने वाले कर-निर्धारण वर्ष के लिए:
  - §ां। § निगम कर के संबंध में, जिस वर्ष में नोटिस दिया गया है उसके बाद के कैलेण्डर वर्ष की 1 अंग्रेल को अधवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्त वर्ष के लिए;
  - §iiii ў पेट्रोलियम राजस्व कर के संबंध में, जिस वर्ष में नोटिस दिया गया है उसके बाद के कैलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी को अधवा उसके बाद शुरू होने वाली किसी प्रभार्य अवधि के लिए;
- §स § भारत में, जिस वर्ष में नोटिस दिया गया है उसके बाद के कैलेण्डर वर्ष की अप्रैल की पहली तारीख को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्त वर्ष में उद्भूत आय के लिए ।

जिसके साक्ष्य में इसके लिए अपनी-अपनी सरकारों दारा विधिवत् प्राधिकृत अधोइस्ताक्षरकर्ताओं ने .इस अभिसमय पर इस्ताक्षर किये हैं ।

सन् एक इजार नौ सौ तिरयानवे के जनवरी माइ केफट्यीसर्वे दिन को नई दिल्ली में अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में, प्रत्येक की दो-दो मूल प्रतियों में, निष्पन्न किया गया, जिसके दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, दोनों पाठों के बीच किसी प्रकार की भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ ही प्रमावी होगा।

> ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैण्ड की यूनाइटिड किंगडम की सरकार की ओर से

> > .

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

.

NICHOLAS FENN

### S. RAMAMURTI

#### ब्रिटिश उच्चायोग

नई दिल्ली, जनवरी 25, 1993

महामहिमः

मुझे आय तथा पूँजीगत अभिलाओं पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैण्ड की यूनाइटिड किंगडम की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच आज हस्ताक्षरित अभिसमय का हवाला देने का गौरव प्राप्त हुआ है तथा ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैण्ड की यूनाइटिड किंगडम की सरकार की ओर से यह प्रस्ताव है :

- कि, अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ \$2\$ के उप-पैराग्राफ \$ \$ को लागू करने में निर्धारण के प्रयोजन के लिए कि यदि कोई भवल-स्थल अथवा कोई निर्माण-कार्य, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उनसे संबंधित पर्येवेक्षी कियाकलाप छः मडीने से अधिक अवधि के लिए चलता रहता है, तो संविदाकारी राज्य यह करेंगे :
  - के दूसरे स्थलों अयवा परियोजनाओं पर उग्रम के कर्मचारियों दारा बिताये गये पूर्ववर्ती समय को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसका प्रश्नित स्थल अथवा परियोजना से कोई संबंध नहीं है;
  - §ii§ कि प्रत्येक उस स्थल अथवा परियोजना की अलग-अलग छः महीने से अधिक समय की जांच लागू करेगा जिसका किसी अन्य स्थल अथवा परियोजना तथा संबंधित स्थल अथवा परियोजना के प्रत्येक समुद्द से कोई संबंध नहीं हो: तथा
  - §iiii के किसी मवन-स्थल को एक एकल स्थल मार्नेंगे चाहे उसमें किये जा रहे कार्य के लिए अनेक करार किये गये हों बशर्ते कि वह पूर्णरूपेण वाणिज्यिक तथा भौगोलिक रूप से सुसंगत प्रकार का हो;
- §स§ कि, अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ §3§ के तहत निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या एक स्थायी संस्थापन ने उद्यम दारा किये गये करार पर बातचीत करने, निर्णय लेने अथवा इन्हें पूर्ण करने में सकिय भूमिका अदा की है, संविदाकारी राज्य उन सभी संगत परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे, तथा विशेषकर इस तथ्य को कि स्थायी संस्थापन के बजाए उद्यम के मुख्य कार्यालय के साथ ऐसी संविदा अथवा खरीद से संबंधित आदेश

अधवा माल अधवा सेवाओं की व्यवस्था संबंधी शर्तों के संबध में बातचीत की गई थी या उनको प्रस्तुत किया गया था, उन्हें यह निर्धारण करने से नहीं रोकेंगे कि स्थायी संस्थापन ने ऐसे करार पर बातचीत करने, निर्णय लेने अधवा इन्हें पूर्ण करने में संक्रिय मूमिका अदा की है,

हंगई कि, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में इवाई जहाज के परिचालन से किसी उद्यम को जो लाम प्राप्त होते हैं उनके निर्धारण के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 8 के पैरा हाई को लागू करते हुए सेविदाकारी राज्य अन्तरराट्रीय यातायात में इवाई जहाज के परिचालन से प्रत्यक्षतः उद्भूत प्राप्तियों के निवेश अथवा उनके निक्षेप से प्राप्त होने वाले क्याज को उन लामों में शामिल किया गया मानेगा, लेकिन ऐसे ब्याज के पुर्नार्नवेश से प्राप्त होने वाले ब्याज को इस प्रकार शामिल किया गया नहीं माना जाएगा ।

यदि पूर्ववर्ती प्रस्ताव भारत गणराज्य की सरकार को अधिमान्य है तो मुझे यह सुझाव देने का गौरव प्राप्त हुआ है कि यह टिप्पणी तथा इससे संबंधित आप महामहिम के उत्तर दोर्नो सरकारों के बीच सम्पन्न होने वाले करार को संस्थापित करने वाले माने जायेंगे ।

> मैं इस अवसर पर आप महामान्य के प्रति अपने सर्वोच्च सम्मान का पुनः आश्वासन देता हूँ। NICHOLAS FENN

# मारत सरकार कित्त मंत्रालय ईराजस्व किमाग केन्द्रीय प्रत्यस कर बोर्ड नई दिल्ली, जनवरी 25, 1993

महामहिम ः

मुझे आप महामान्य की आज की टिप्पणी की पावती भेजने का सम्मान प्राप्त हुआ है जो इस प्रकार

हे :

"मुझे आय तथा पूँजीगत अभिलामों पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए ग्रेट ब्रिटेन तथा उल्तरी आयरलैण्ड की यूनाइटिड किंगडम की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच आज इस्ताक्षरित अभिसमय का हवाला देने का गौरव प्राप्त हुआ है तथा ग्रेट ब्रिटेन तथा उल्तरी आयरलैण्ड की यूनाइटिड किंगडम की सरकार की ओर से यह प्रस्ताव है :

- §क§ कि, अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ §2§ के उप-पैराग्राफ § § को लागू करने में निर्धारण के प्रयोजन के लिए कि यदि कोई भवल-स्थल अथवा कोई निर्माण-कार्य, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उनसे संबंधित पर्यवेक्षी क्रियाकलाप छः महीने से अधिक अवधि के लिए चलता रहता है, तो संविदाकारी राज्य यह करेंगे :
  - §i§ कि दूसरे स्थलों अधवा परियोजनाओं पर उधम के कर्मचारियों दारा बिताये गये पूर्ववर्ती समय को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसका प्रश्नित स्थल अथवा परियोजना से कोई संबंध नहीं है,
  - §ii§ कि प्रत्येक उस स्थल अथवा परियोजना की अलग-अलग छः महीने से अधिक समय की जांच लागू करेगा जिसका किसी अन्य स्थल अथवा परियोजना तथा संबोधत स्थल अथवा परियोजना के प्रत्येक समूह से कोई संबंध नहीं हो, तथा
  - §ंंांंड् कि किसी भवन-स्थल को एक एकल स्थल मार्नेंगे चाहे उसमें किये जा रहे कार्य के लिए अनेक करार किये गये हों बशर्ते कि वह पूर्णरूपेण वाणिल्यिक तथा भौगोलिक रूप से सुसंगत प्रकार का हो,
- §स§ कि, अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ §3§ के तहत निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या एक स्थायी संस्थापन ने उद्यम दारा किये गये करार पर बातचीत करने, निर्णय लेने अथवा इन्हें प्र्ण करने में सकिय भूमिका अदा की है, संविदाकारी राज्य उन सभी संगत

पीरिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे, तथा विशेषकर इस तथ्य को कि स्थायी संस्थापन के बजाए उद्यम के मुख्य कार्यालय के साथ ऐसी संविदा अथवा खरीद से संबंधित आदेश अथवा माल अथवा सेवाओं की व्यवस्था संबंधी शर्तों के संबंध में बातचीत की गई थी या उनको प्रस्तुत किया गया था, उन्हें यह निर्धारण करने से नहीं रोकेंगे कि स्थायी संस्थापन ने ऐसे करार पर बातचीत करने, निर्णय लेने अथवा इन्हें पूर्ण करने में संक्रिय भूमिका अदा की है;

§गई कि, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में इवाई जहाज के परिचालन से किसी उद्यम को जो लाभ प्राप्त होते हैं उनके निर्धारण के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 8 के पैरा §1ई को लागू करते हुए सीवेदाकारी राज्य अन्तरराष्ट्रीय यातायात में इवाई जहाज के परिचालन से प्रत्यक्षतः उद्भूत प्राप्तियों के निवेश अथवा उनके निक्षेप से प्राप्त होने वाले ब्याज को उन लाभों में शामिल किया गया मानेगा, लेकिन ऐसे ब्याज के पुनर्निवेश से प्राप्त होने वाले ब्याज को इस प्रकार शामिल किया गया नहीं माना जाएगा ।

यदि पूर्ववर्ती प्रस्ताव भारत गणराज्य की सरकार को अधिमान्य है तो मुझे यह सुझाव देने का गौरव प्राप्त हुआ है कि यह टिप्पणी तथा इससे संबंधित आप महामहिम के उत्तर दोनों सरकारों के बीच सम्पन्न होने वाले करार को संस्थापित करने वाले माने जायेंगे ।"

इसके उत्तर में, मुझे यह कहने का सम्मान प्राप्त हुआ है कि भारत गणराज्य की सरकार ने इसमें दिये गये प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है तथा इस बात से सहमत है कि इस मामले में आप महामहिम की टिप्पणी तया वर्तमान उत्तर, भारत गणराज्य की सरकार तथा ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैण्ड की युनाईटिड किंगडम की सरकार के वीच एक करार बन जाएगा ।

में इस अवसर पर आप महामान्य के प्रति अपने सर्वोच्च सम्मान का पुनः आश्वासन देता हूँ ।

#### S. RAMAMURTI